कुरुक्षेत्र

सम्पादकीय

परिवार कल्याण कार्यक्रम की गति ढीली क्यों ?

जनसंख्या वृद्धि की गति को ध्यान में रखते हुए परिवार नियोजन कार्यक्रम का उद्देश्य एक ऐसा उद्देश्य था जिससे देश का सबसे बड़ा हित साधन हो सकता था परन्तु इसके कार्यान्वियन की शुरूआत से लेकर आपातस्थिति तक जो हालात रहे उन्हें सन्तोषजनक तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उनसे जनसंख्या वृद्धि की गति में कुछ रोकथाम आई। आपातस्थिति के दौरान जिस निरंकुशता से इसे कार्यान्वित किया गया वह हमारा कुछ दुर्भाग्य ही था और इसी से इस कार्यक्रम के प्रति जन मानस में अरुचि पैदा हुई।

परन्तु जनसंख्या वृद्धि की समस्या तो नई सरकार के सामने भी उतनी ही गम्भीर है जितनी कि पहली सरकारों के सामने थी। अतः नई सरकार भी अपनी इस प्रमुख रूप से गम्भीर समस्या को नजरअंदाज कैसे कर सकती है। फलतः जनमानस में परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति जो अरुचि पैदा हुई उसे दूर करने के उद्देश्य से इसे परिवार कल्याण कार्यक्रम का रूप दिया गया। यह ठीक है कि आजकल इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए भूमि तैयार है और जनमानस में इसके प्रति विरोध की भावना भी नहीं है, परन्तु जिन पर इसके कार्यान्वियन का उत्तरदायित्व है उनके पैरों की गति अवश्य ढीली है। अतः जरूरत है कि उनके पैरों की गति को तेज किया जाए। शिक्षित लोगों में परिवार कल्याण की भावना जड़ जमा चुकी है। हमें देखना है उन ग्रामीण परिवारों को जहां अशिक्षा का साम्राज्य है और जहां गरीबी का इन्तहा है।

नई स्वास्थ्य योजना तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यकर्ता जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। परन्तु यह तभी सम्भव है जबकि वे अपने कर्तव्य के प्रति सच्चे और निष्ठा वान हों। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। देश के प्रायः अधिकांश गांवों में प्राथमिक पाठशालाओं का जाल बिछाया जा चुका है परन्तु गरीबी से पीड़ित लोग अपने सुकुमार बच्चों को रोजी-रोटी के काम पर लगा देते हैं और उन्हें पाठशालाओं में भेजने से कतराते हैं। वह सन्तति को वे अपनी रोजी-रोटी का साधन समझते हैं। अतः जरूरत है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को सख्ती से लागू किया जाए जिससे वे शिक्षित होने पर परिवार कल्याण के महत्व को समझ सकें।

जनसंख्या वृद्धि के भूत पर चौतरफा प्रहार करने की आवश्यकता है। हमें अपने रेडियो, टेलीवीजन आदि सभी संचार साधनों को परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रचार की दिशा में अग्रसर करना होगा। घर-घर जाकर लोगों को छोटे परिवार का महत्व बताना होगा, नसबन्दी आदि के लिए साधन जुटाने होंगे अन्यथा हम कितना ही उत्पादन बढ़ाएं, उसे जनसंख्या वृद्धि का भूत क्षण में चाट जाएगा। ●

मज़दूर मंज़िल

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र, फोटो आदि भेजिए। भाषा सरल हो और रचना का आकार 'कुरुक्षेत्र' के दो-ढाई पृष्ठ से अधिक न हो।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

●

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक 'कुरुक्षेत्र' (हिन्दी), कृषि और सिंचाई मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

●

दूरभाष : 382406

एक प्रति 50 पैसे — वार्षिक चंदा 5.00 रु०

सम्पादक : महेन्द्र पाल सिंह

उपसम्पादक : पारसनाथ तिवारी, कु० शशि चावला

आवरण पृष्ठ : आर० आरंगन

कुरुक्षेत्र

वर्ष 24 — अग्रहायण 1900 — अंक २

इस अंक में : **पृष्ठ संख्या**

कृषि सेवा में सांख्यिकी : भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान — 2
ब्रजलाल उनियाल

बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए प्रशिक्षण — 4
क० अरुणाचलम्

गरीबी से मुक्ति की एक व्यावहारिक योजना — 6
दुर्गाशंकर त्रिवेदी

रेगिस्तान में हरियाली की नई तकनीकें — 8
डा० श्याम मांडावत

व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम क्यों और कैसे ? — 10
बटुकेश्वर दत्त सिंह

कम्पोस्ट खाद अपनाएं — 12
डा० रामगोपाल चतुर्वे ी

विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था की नयी रणनीति — 14
प्रदीप कुमार मेहता

उत्तर प्रदेश में पंचायतों के नए प्रयास — 17
मदन मोहन गुप्ता

छठी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े वर्गों के विकास की व्यवस्था — 22
जे० सी० शर्मा एवं एस० एल० मैनारिया

प्रौढ़ शिक्षा-समस्या और समाधान — 24
मुरारी श्याम शर्मा

समग्र ग्रामीण विकास: नयी व्यूह-रचना की कुछ प्रमुख विशेषताएं — 26
एस० एस० चट्टोपाध्याय

गांव (कविता) — 28
अरुण शर्मा

वोट जन-भाषा में मांगने और नोट अंग्रेजी में लिखने का जनवादी व्यवस्था से मेल नहीं — 29
मधु दण्डवते

प्रतिदिन हो त्योहार हमारा (कविता) — 31
ान्दरा परमार

हिन्दी में कामकाज करने पर नकद पुरस्कार देने की योजना — 32
जगन्नाथ

समीक्षा — 35

कृषि की सेवा में सांख्यिकी : भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान

[शायद आम आदमी को यह पता न हो कि चांद पर आदमी के उतरने की साध के पीछे न केवल वैज्ञानिकों का हाथ था बल्कि चांद पर अपोलो 11 उतारने की सफलता सांख्यिकी विद् ों की अनवरत सहायता व अध्यवसाय के बिना सम्भव न होती । कारण, चांद पर उतरने के लिए गणित के विभिन्न पेचीदा सूत्रों से जो अनेक प्रतिफल मिले उनका उपयोग अपोलो 11 की गतिविधियों के नियन्त्रण में काम आया । ज्यों ज्यों विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में नए नए अनुसंधानों का समावेश होता है त्यों-त्यों प्रत्येक शाखा में विशेषज्ञों का एक संवर्ग तैयार किया जाता है । सांख्यिकी भी विज्ञान की एक ऐसी ही विशिष्ट शाखा है जिसका काम तथ्यों को संक्षिप्त और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करना, तथ्यों की तुलना करना, पूर्वानुमान में सहायता देना और उचित नीतियों के निर्धारण में सहायता देना है ।]

भारतीय कृषि में पहले तो सांख्यिकी का इतना महत्व न था, पर ज्यों-ज्यों समय बीतता गया कृषि के क्षेत्र में भी विज्ञान की इस शाखा का उपयोग किया जाने लगा और आज तो भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान एक बहुत बड़ा संस्थान है जो कृषि से सम्बन्धित आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण आदि के नीति निर्धारण में योगदान करता है । हाल में ही इस संस्थान का सोलहवां दीक्षांत समारोह मनाया गया । इस अवसर पर केन्द्रीय शिक्षा, समाज कल्याण मंत्री डा० पी० सी० चन्दर ने अपने दीक्षान्त भाषण में कहा कि सांख्यिकी प्रणाली विज्ञान का अनुसंधान के विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान है । हम अब यह अनुभव करने लगे हैं कि कृषि विज्ञान और तकनीक को गांव तक पहुंचाकर ही वहां की गम्भीर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं पर यह सम्भव है जब गांव में कृषि शिक्षा पहुंचे और मेरा यह विचार है कि छोटी कक्षाओं से ही उनके पाठ्यक्रम में कृषि शिक्षा का समावेश किया जाए । इस तरह भविष्य में कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान करने वालों के सामने तीन उद्देश्य साफ जाहिर होंगे यानी अधिक उपज, अधिक आय और कारगर रोजगार । सरकार प्रौढ़ शिक्षा का जो कार्यक्रम तैयार कर रही है उसके अन्तर्गत अगले पांच सालों में पांच करोड़ निरक्षर लोगों को साक्षर बनाया जाएगा और इस कार्यक्रम में कृषि शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी से कृषि विकास

इस संस्थान ने पिछले दिनों जो अनुसधान किए हैं उनमें कृषि नियोजन के लिए आवश्यक आंकड़े संकलित किए हैं । विभिन्न आकड़ों के विश्लेषण और अध्ययन के आधार पर कृषि निवेशों के मान दण्डों का निर्धारण किया गया है और इन बातों का अध्ययन किया गया कि उर्वरक सिंचाई आदि की क्या अनुक्रिया होती है । इसके लिए न केवल अनुसंधान केन्द्रों में बल्कि किसानों के खेतों

ब्रजलाल उनियाल

पर भी प्रयोग किए जाते हैं । यह कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान आंकड़े संकलित कर दिशा निर्देश करता है । इस संस्थान ने न्यूनतम लागत से विभिन्न कृषि आंकड़ों को इकट्ठा करने की तकनीकें, साथ ही फसल कटाई सर्वेक्षण तकनीक विकसित की है ।

इस संस्थान में कुछ प्रशिक्षार्थी तो कृषि और पशुपालन सम्बन्धी अनुसंधान में काम करने वाले हैं और वे अपने-अपने क्षेत्रों की अनुसंधान की समस्याओं पर काम करते हैं । आमतौर से ये लोग कृषि विज्ञान में स्नातक हैं और यहां सांख्यिकी तकनीकों की उच्च शिक्षा पाने के लिए आए हैं । दूसरे वे लोग हैं जो पहले ही राज्यों के कृषि विभागों की सेवा में हैं या परिषद् के अनुसंधान केन्द्रों में काम करते हैं व सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री लिए हैं । ये लोग उच्च कोटि की व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए यहां आते हैं ।

इस संस्थान का महत्व दिनों दिन बढ़ रहा है और कालान्तर में अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों को इस संस्थान की सहायता लेनी पड़ेगी क्योंकि वे लोग अपने प्रयोग और परिणामों की व्याख्या के

एक संस्थान में [illegible] का उपयोग करेंगे। मंत्री महोदय ने इस संस्थान के भविष्य के लिए मंगल कामना करते हुए इसके अतीत की भी प्रशंसा की।

इस संस्थान के निदेशक डा० दरोगा सिंह ने अपने भाषण में मंत्री महोदय व माननीय अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्थान के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि संस्थान के विविध कार्यकलापों में सांख्यिकी की जांच पड़ताल, अध्ययन, विश्लेषण, अनुसंधान, व्यावसायिक सांख्यिकी विदों के लिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षण, कार्यरत वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण, वैज्ञानिकों तथा संगठनों को परामर्श देना आदि शामिल हैं।

उन्होंने यह रहस्य खोला कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में बंगाल के भीषण अकाल का कारण खाद्यान्न के गलत आंकड़ों का उपलब्ध होना था। जब बाद में विश्लेषण किया गया तो पता चला कि आंकड़ों के संकलन का कोई व्यवस्थित व वैज्ञानिक आधार न था। वे आंकड़े विश्वसनीय भी नहीं थे। (कैसी विडम्बना है कि गलत आंकड़े भी लाखों जानें ले सकते हैं—लेखक) 1940 में विस्तृत खोजबीन की गई और तब खाद्यान्नों की उपज का अनुमान लगाने के लिए वैज्ञानिक विधियां विकसित की गईं। बाद में इस प्रकार के विश्लेषणों के आधार पर फसल काटने के प्रयोगों की तकनीकें विकसित की गईं और उन्हें राज्यों ने भी अपना लिया।

1950 के बाद भारत सरकार ने जब कृषि के सुनियोजित विकास पर विशेष ध्यान दिया तो इस बात की जरूरत महसूस की गई कि योजना तैयार करने के लिए खेती संबंधी बुनियादी आंकड़ों की आवश्यकता है। लक्ष्य निर्धारण के लिए प्रौद्योगिकी के आंकड़ों की जरूरत थी। हमारे साधनों में क्या कुछ चाहिए इसके लिए हमें देखना था कि निवेश और लागत के बीच क्या संबंध है? इन बातों का जवाब अगर कोई दे सकता था तो वह था सांख्यिकी संस्थान। इस संस्थान का रूप धीरे धीरे निखरता गया और यह अनुसंधान और प्रशिक्षण दोनों का संगम बन गया। कृषि के दूसरे क्षेत्रों जैसे पशुपालन व मछलीपालन में भी इस संस्थान का योगदान मिलने लगा।

यह उल्लेखनीय है कि हमारी कृषि सांख्यिकी [illegible] की तकनीक को अमरीका, लेटिन अमरीका, एशिया और कुछ विकासशील देशों ने भी अपनाया, और कुछ देशों ने तो हम से मांग की कि हम उनके लोगों को प्रशिक्षण की सुविधाएं दें। विज्ञान की इस शाखा के विकास और विस्तार ने 1959 में एक संस्थान का रूप ले लिया। अप्रैल, 1970 में तो यह एक पूर्ण विकसित संस्थान बन गया। इसके साथ ही इसमें ये छः विभाग काम करने लगे: फसल विज्ञान में सांख्यिकी अनुसंधान, पशु विज्ञान में सांख्यिकी अनुसंधान, प्रतिदर्श (सैम्पल) सर्वेक्षण, अनुसंधान, और बुनियादी अनुसंधान, कम्प्यूटर (संगणक विज्ञान) और संख्या विश्लेषण, फसल पूर्वानुमान विधि।

संस्थान की प्रशंसनीय उपलब्धियों के फलस्वरूप संस्थान के संयुक्त निदेशक डा० प्रेम नारायण को सांख्यिकी आनुवंशिकी क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए रफी अहमद कदवई पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का फैलो चुनकर सम्मानित किया गया। डा० ए० डे० को अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान का सदस्य चुने जाने का सम्मान प्राप्त हुआ।

डा० प्रेम नारायण ने संस्थान की गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक लगभग 80 विदेशी छात्र यहां प्रशिक्षण ले चुके हैं। इस संस्थान को इस बात का गौरव है कि देश भर में और कई अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी इस संस्थान के प्रशिक्षित कर्मचारी कृषि अनुसंधान तथा विकास क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

डा० नारायण ने बताया कि इस संस्थान में तीन तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। पहले वर्ग में वे लोग आते हैं जो कृषि और पशुपालन में अनुसंधान करते हैं और उनका मुख्य क्षेत्र सांख्यिकी नहीं है लेकिन उनके अनुसंधान में सांख्यिकी का बहुत महत्व है। ऐसे लोग प्रायः राज्य सरकारों, केन्द्रीय व राज्य अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालयों द्वारा नामजद किये जाते हैं। कुछ और लोग भी होते हैं। इसमें दो पाठ्यक्रम क्रमशः एक साल और छः महीने के हैं।

दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो सांख्यिकी विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री वाले हैं और जो कृषि, पशुपालन तथा संबंधित विषयों में व्यावसायिक सांख्यिकीविद् बनना चाहते हैं। इसमें केवल वे ही लोग होते हैं जो सांख्यिकी में एम० ए० हों या गणित में एम० ए० हों, साथ ही सांख्यिकी में अपेक्षित योग्यता रखते हों।

तीसरा वर्ग उन लोगों का है जो कृषि सांख्यिकी में एम० एस-सी० या पी० एच० डी० करना चाहते हों।

इन लोगों को न केवल व्यावसायकि प्रशिक्षण दिया जाता है बल्कि उन्हें विभिन्न स्थलों पर ले जाकर (सैम्पल) प्रतिदर्श सर्वेक्षण अनुसंधान कार्य सौंपा जाता है। पिछले दिनों ये लोग गुजरात कृषि विश्वविद्यालय गए जहां उन्होंने छोटे तथा सीमान्त किसानों की अर्थ व्यवस्था और सहकारी दुग्ध समितियों के प्रभाव पर अध्ययन किया। संस्थान के छात्र अन्य संस्थानों में भी इसी तरह के कामों के लिए गए। इसके अतिरिक्त, समय समय पर सम्मेलन और संगोष्ठियों द्वारा प्रशिक्षार्थियों को ज्ञान-वर्धन तथा विचारों के आदान-प्रदान का अवसर मिलता है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सच्चा व्यावसायकि कृषि सांख्यिकीविद् वही है, जिसका कृषि के प्रति विशेष रुझान हो, जो उसकी समस्याओं का अहसास करें, उसे कम्प्यूटर की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए और वह निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता से काम करें और अन्य कृषि वैज्ञानिकों के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर काम कर सकें। इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर यह संस्थान काम करता है।

इस प्रकार इस संस्थान का दीक्षान्त समारोह सम्पन्न हुआ। मंत्री महोदय के इस संस्थान के प्रति कहे गये ये शब्द प्रेरणा के स्रोत हैं :—

"इस संस्थान में प्रशिक्षण पाने वाले लोगों का भविष्य तो उज्ज्वल होगा ही, साथ ही जिस क्षेत्र में वे काम कर रहे हैं उसमें उनके काम की गुणवत्ता (क्वालिटी) में भी सुधार होगा"।

इस संस्थान में आधुनिक जानकारी, साज-सज्जा तथा कम्प्यूटर सुविधाएं मौजूद हैं और यही कारण है कि यह स्थान न केवल भारत की कृषि सेवा में रत है बल्कि दुनिया के अनेक विकास शील राष्ट्रों के लिए प्रशिक्षण व ज्ञान का तीर्थ बन रहा है। ●

बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए प्रशिक्षण

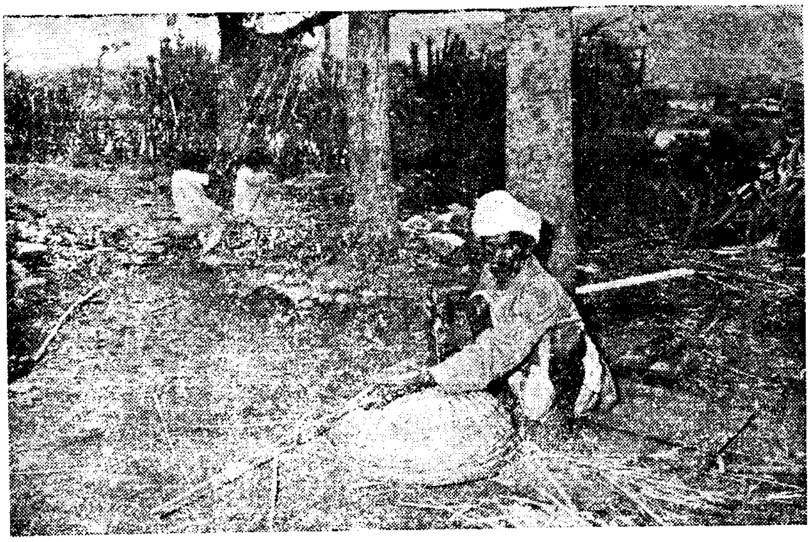

[कोई निर्देश देता रहे और दूसरे उसका बिना सोचे समझे पालन करते रहें, अब उसका जमाना नहीं रहा और न ही यह स्वीकार्य है। प्रारम्भ में मार्गदर्शन मिलना और बात है, परन्तु अपना विकास तो स्वयं ही करना होगा और करना चाहिए। यह तभी हो सकता है जबकि लोगों को शिक्षित किया जाए और सही दिशा में उनकी बुद्धि का विकास किया जाए।]

क० अरुणाचलम्

भारत की स्वतंत्रता के तीन दशक बाद भी अभी सबसे भारी जिस समस्या का हमें सामना करना पड़ रहा है वह है भारत की जनसंख्या के एक बड़े भाग को चंद क्षेत्रों में तीन माह से अधिक और कई क्षेत्रों में लगभग छः माह तक बेकार रहने की। कृषि 12 करोड़ व्यक्तियों को, चाहे कृषक रूप में अथवा कृषि श्रमिक रूप में, कार्यरत रखती है। कृषि के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र का मात्र 22 प्रतिशत भाग सिंचित है। शेष हिस्से को मौसमी वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है, और सूखी कृषि की तो अपनी अलग समस्याएं हैं। सूखी कृषि की जितनी तकनीकें हमें मालूम हैं उनके सहारे खेती में सबको पूरे वर्ष भर काम देना असम्भव है। यहां तक कि सत्रह राज्यों में स्थापित कृषि उद्योग निगम भी मुख्यतया ट्रैक्टरों तथा कृषि उपकरणों के वितरण में जुट हुए हैं और नहीं लगता कि वे देश में बाध्य बहुसंख्यक बेरोजगारी से अभिभूत हों। बेरोजगारी स्वयं एक विवादास्पद संज्ञा है क्योंकि अंतिम रूप से इसकी व्याख्या अब तक नहीं हुई है। अतएव निस्संदेह कितने तो लोग ऐसे हैं जो यह विश्वास नहीं करते कि इस देश में बेरोजगारी है। सौभाग्यवश अर्थशास्त्री बेरोजगारी की व्याख्या से सहमत हैं। कई विख्यात अर्थशास्त्री जो यह कहते हैं कि बेरोजगारी को मापना असंभव है और इस मामले में वे असहाय हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब जीवन के अन्य क्षेत्रों में विकास होगा तो इसका समाधान कुछ समय में स्वयं हो जाए गा।

बेरोजगारी के कारण

औद्योगिक रूप में विकसित देशों में भी बरोजगारी एक समस्या ही है परन्तु वहां वह विभिन्न नामों से जानी जाती है, जैसे मौसमी और चक्रीय (सायक्लिकल) आदि। बेरोजगारी के नाम उन स्थितियों पर निर्भर करते हैं जिनके फलस्वरूप यह बेरोजगारी होती है। भारत जैसे देशों में बेरोजगारी और अर्द्ध-बेरोजगारी मुख्यतया बढ़ती हुई श्रम-शक्ति की आवश्यकताओं से सम्बन्धित पूंजी के अभाव के ही कारण है। बड़ी संख्या में बेरोजगारी और मजबूरन बेकारी के मूलभूत कारण की जांच करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि यहां श्रमजीवियों की भरमार है और यहां एक ऐसा रास्ता निकालने की जरूरत है जहां पूंजी के बदले श्रम से काम पूरा हो। उन्होंने इंगित किया कि उपलब्ध अल्पतम पूंजी चरखे और करघे से (मूलभूत आवश्यकताओं में से एक) वस्त्रों के उत्पादन में लाखों को रोजगार दे सकती है और इसका उत्पादन बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। भारत के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हाथकताई की सिफारिश करते हुए उन्होंने 'यंग इंडिया' (अक्तूबर 1926 में लिखा :

1. हाथ कताई का काम तुरन्त किया जा सकता है : (अ) इसके लिए न तो पूंजी की आवश्यकता होती है और ना ही मंहगे उपकरण की। कच्चे माल और उपकरण स्थानीय रूप में भी सस्ते में खरीदे जा सकते हैं। (आ) इसके चलाने के लिए किसी उच्च कौशल या बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। अतः लाखों गरीब भारतीय सहज ही कताई का काम कर सकते हैं। (इ) इसमें शारीरिक मेहनत इतनी कम होती है कि बच्चे और बूढ़े भी कताई कर परिवार की आय में वृद्धि कर सकते हैं। (ई) आज भी बहुत से घरों में चरखे चलते हैं। अतः यह कोई नई चीज नहीं है जिसके लिए पृष्ठभूमि तैयार करने की जरूरत है।
2. भोजन के बाद वस्त्र की ही सब जगह और स्थायी मांग है। सूत का बाजार हमेशा तैयार रहता है। इससे गरीब किसानों को अपने घरों में ही रोजगार मिल जाएगा जिससे इन्हें निरन्तर नियमित आमदनी होती रहेगी।

3. इस पर बारिश और अकाल का असर नहीं होता ।
4. कताई के मामले में कोई धार्मिक और सामाजिक बंधन भी नहीं है ।
5. अकाल से लड़ने का यह बड़ा ही तैयार साधन है ।
6. यह किसानों को उनके घरों में ही काम देता है और इस प्रकार गरीब परिवार को बिखरने नहीं देता ।
7. यह भारत के ग्राम समाज के चन्द लाभों को, जो कि अब नष्ट हो चुके हैं, जिंदा कर सकता है ।
8. यह बुनकरों का भी उतना ही बड़ा सहारा है जितना कि किसानों का, क्योंकि सिर्फ यही काम हाथकरघा उद्योग को स्थायी और ठोस आधार प्रदान कर सकता है । आज हाथ-करघा उद्योग में 80 लाख से 1 करोड़ लोग लगे हुए हैं और वे भारत की कुल वस्त्र आवश्यकता की एक तिहाई की पूर्ति करते हैं ।
9. इसका पुनरुज्जीवन अन्य सम्बन्धित ग्रामोद्योगों को भी नया जीवन देगा और गांवों को डूबने से बचाएगा ।
10. लाखों भारतीयों के बीच यही काम धन का समवितरण सुनिश्चित कर सकता है ।
11. सिर्फ यही काम प्रभावशाली ढंग से बेरोजगारी की समस्या को हल करता है—न सिर्फ किसानों की आंशिक बेरोजगारी की बल्कि कामधंधों की तलाश में भटक रहे शिक्षित युवकों की भी । यह काम इतना बड़ा है कि देश के सारे बुद्धिबजीवियों को अपनी सारी ताकत इस आंदोलन को मार्गदर्शन देने और चलाने में लगा देनी चाहिए ।

विकल्प नहीं

पचास साल से अधिक हुआ जब चरखा आंदोलन के पक्ष में ये मुद्दे रखे गए थे । उसके बाद देश ने राजनीतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त कर ली । हमने लोकतंत्रीय संविधान को अपनाया । चन्द वर्षों को छोड़कर पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित किया । आयोजन के विदेशी ढंग से लक्ष्य पूर्ति न होने पर हम हिचकते हुए गांधीवादी नमूने को कार्यान्वित करने पर विचार करने लगे । अभी भी बुद्धिजीवियों को चरखा मार्ग की उपयुक्तता पर संदेह है । तथापि देश में वैभव के बीच फैली घोर गरीबी की चुनौती का मुकाबला करने के लिए दूसरा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है ।

मौजूदा सरकार ने देश के औद्योगीकरण के लिए अपने दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन किया है । अपने नीति प्रस्ताव में उसने अपने अभिप्राय को प्रकट किया है । ग्रामीण विभागों के उद्योगीकरण की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं । जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं । किन्तु ये केवल अवस्थापनाएं हैं और वे भी पर्याप्त नहीं हैं । तथापि इन अवस्थापनाओं के उपयोग की क्षमता का अभाव है । इसके अतिरिक्त, योजना प्रक्रियाएं मूलभूत स्तर तक नहीं पहुंची हैं । अभी भी नौकरशाही नजरिया बरकरार है । लगता है आयोजक पहले के आयोजनों में कई दिशाओं में मिली असफलताओं के कारणों से कोई सबक नहीं ले सके । तथापि इतना वे समझने लगे हैं कि बेरोजगारी और अर्द्ध-बेरोजगारी को दूर करने के साथ ही पूंजी निवेश की प्रति इकाई से उत्पादकता में वृद्धि की सामर्थ्य ग्रामोद्योगों में है ।

छोटी आयोजना अपेक्षित

अभी भी अधिकार तथा साधन-स्रोतों के वितरण के मामले में भारी असुन्तलन है । कम से कम ग्राम विकास के क्षेत्र में बृहद् आयोजना को अपना स्थान छोटी आयोजना को दे देना चाहिए । बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान करने के लिए प्रत्येक समुदाय को अपनी योजना बनाने योग्य बना देना चाहिए । इस अभीष्ट ज्ञान और कौशल को प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में योग्य तथा समुचित रूप से प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है । खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा इस दिशा में चंद मार्गदर्शी प्रयोग पहले किए गए हैं । सघन क्षेत्र योजना तथा समग्र विकास कार्यक्रम इस बात की आवश्यकता बताते हैं कि प्रत्येक समुदाय के लिए सभी क्षेत्रीय साधन स्रोतों के सर्वेक्षण और उपलब्ध आंतरिक एवं बाह्य सहायता के अनुमान पर आधारित समग्र विकास का यथार्थवादी आयोजन होना चाहिए । एक सूची तैयार होनी चाहिए जिसमें उस समुदाय के उन सभी लोगों का नाम होना चाहिए जो काम करने के इच्छुक ह । गरीब से गरीब समुदाय के पास भी हर समय इसकी सूची उपलब्ध होनी चाहिए । क्षेत्र की शैक्षणिक संस्था को भी इसमें शामिल किया जा सकता है और राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का यह एक प्रमुख कार्य होना चाहिए । इस तरह के कार्य में शामिल होने से समुदाय के युवा वर्ग को एक उल्लासवर्द्धक शैक्षणिक अनुभव होगा ।

कोई भी उत्पादन कार्यकलाप, उत्पादित सामग्री के उपयुक्त समसामयिक उपभोग का प्रबंध किए बिना, अधिक समय तक चालू नहीं रखना चाहिए । यही कारण था कि गांधी जी ने स्वदेशी के सम्बन्ध में प्रबल आन्दोलन चलाया । बड़ी संख्या में रोजगार देने के कार्यक्रम के सफल कार्यान्वियन के लिए लोगों को स्वदेशी की सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों ही शिक्षा सामूहिक रूप से देना अनिवार्य है । सामूहिक संपर्क के समस्त आधुनिक साधनों जैसे समाचारपत्र, रेडियो, दूरदर्शन (टेलीवीजन) और सिनेमा आदि का उपयोग नियोजित ढंग से किया जाना चाहिए ताकि गरीबी और दुःखदारिद्रय की इस पुरानी समस्या के समाधान में नए उत्साह से लोग जुट जाएं ।

भारत सरकार ने अपने प्रौढ़ शिक्षण (1978) नीति-विवरण में इंगित किया है कि प्रौढ़ साक्षरता अभियान का बृहद् कार्यक्रम चलाने के अतिरिक्त विशिष्ट वर्गों की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे । शिक्षितों की आगे की शिक्षा की भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए । यदि समुदाय के आर्थिक विकास तथा व्यक्तित्व के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास से सम्बन्धित एक उपयुक्त पाठ्यक्रम बनाया जाए और उसे कार्यान्वित किया जाए तो बड़े पैमाने पर रोजगार सुनिश्चित किया जा सकता है । चंद साल पहले कमीशन ने 'नंगे पांव प्रबंधक'' का प्रशिक्षण कार्य चलाया था जो चंद हिस्सों में कुछ उपयोगी सिद्ध हुआ । राजकीय कोष के अल्पतम व्यय से इसे बढ़ाया जा सकता है । उत्पादन प्रबंध, विक्रय प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, कार्यकर्ता प्रबंध आदि में कुशलता योजना की सफलता के निमित्त आवश्यक है । बड़ी संख्या में रोजगार देने के कार्यक्रम की सफलता या असफलता, सामान्यतया लोगों तथा विशेष रूप से युवा वर्ग को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, उस पर निर्भर करेगी ।

गरीबी से मुक्ति की एक व्यावहारिक योजना

दुर्गाशंकर त्रिवेदी

लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भैरो सिंह शेखावत के सजग नेतृत्व में उठाई गई गरीबी से मुक्ति की एक व्यावहारिक योजना को अपना आशीर्वाद देते हुए उसे पूर्ण क्रान्ति के द्वितीय चरण का महत्वपूर्ण कार्यक्रम बतलाया। यह अन्त्योदय योजना है जिसकी व्यावहारिक भाव भूमि देखने के लिए लोकनायक ने अपनी व्यथा व्यक्त की कि यदि मैं स्वस्थ होता तो ग्राम-ग्राम जाकर देखता कि शेखावत गांधी जी के स्वप्न को कैसे पूरा करवा रहे हैं? प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने स्वयं अपने हाथों से अन्त्योदयी परिवारों को कर्ज बांटा, उनका दुःख दर्द पूछा और इस योजना की क्रियान्विति देखी, प्रशंसा की और देश भर में इसे लागू करने की अपनी हार्दिक इच्छा भी व्यक्त की।

अक्सर कई लोग पूछ उठते हैं कि यह अन्त्योदय योजना आखिर है क्या? असल में यह गरीबी के दलदल से निकालने की एक ईमानदार पहल है। यदि यह पहल स्वयं अन्त्योदयी परिवार और सरकारी तंत्र दोनों तरफ से व्यवस्थित रूप से हुई तो हालात बदलते देर नहीं लग पाएगी। कहावत है कि पूत के लक्षण पालने में ही नजर आ जाते हैं। इस सन्दर्भ में अन्त्योदयी योजना में अभी तक जो भी हुआ वह इसके महान लक्ष्य के सफली भूत होने की आस्था जाग्रत कर देने की क्षमता रखता है। दुःख दारिद्रय से सदियों से जूझते लोगों में इस योजना ने आशा की एक किरण अंकुरित की है, जो कि धुंध को चीरती जाकर अंधेरे पर उजाले का साम्राज्य स्थापित करके रहेगी क्योंकि यह योजना आंकड़े बाज विशेषज्ञों की नहीं, धरती के बेटों ने बनाई है और क्षेत्र की जरूरतों को समझकर इसे तैयार किया गया है।

सबसे पिछड़ा-सबसे पहले : सर्वश्री भैरो सिंह शेखावत, कृष्ण कुमार गोयल, ललित किशोर चतुर्वेदी, लक्ष्मणसिंह महारावल, प्रो० केदार, पुरुषोत्तम मंत्री आदि भूमि से जुड़े विरोधी नेता कांग्रेस के कार्यकाल से ही रहे हैं। इसलिए वे जन-जीवन की आकांक्षाओं, जरूरतों, दुःखदर्दों और उत्पीड़नकारी तत्वों आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी रखते थे। अतः जब जनता पार्टी की सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में इन्होंने शासन सम्भाला तो सबसे पिछड़े को सबसे पहले राहत पहुंचाने वाला यह अभियान शुरु करने की पहल की।

अन्त्योदय योजना के पक्ष को स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री श्री भैरोसिंह शेखावत ने कहा भी है—'दरिद्रनारायण के उत्थान के लिए हमने अन्त्योदय योजना लागू की है। हम सदियों से उपेक्षित तथा शोषित गरीब व्यक्तियों को उसका हक दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं। इस योजना में हमने प्रत्येक वर्ष राजस्थान के प्रत्येक गांव में से 5 निर्धनतम परिवारों के उत्थान का बीड़ा उठाया है। पिछले वर्ष बापू की जन्म तिथि पर यह भागीरथी योजना लागू की थी। अब तक हम 75 हजार परिवारों को जीविका के लिए साधन जुटा पाए हैं। इनमें से कई अल्प संख्यक हैं, कई अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं तथा कई अन्य पिछड़े वर्गों में से हैं। जन कल्याण की इस योजना का श्रीगणेश जनता ने ही ग्रामीण सभाओं में अपने निर्धनतम परिवारों का चयन करके किया। प्रशासन ने तो जनता के सहयोग से व्यावसायिक बैंकों तथा अन्य साधनों से उन निर्धनतम परिवारों को सहायता पहुंचाई। यह योजना सरकार के इस संकल्प की द्योतक है कि गरीब को राज्य के साधनों में अपना पूरा हक मिले। इस योजना के द्वारा हमने गरीबों को उनका वह विश्वास लौटाया है जो उन्होंने असहाय गरीबी से वर्षों तक संघर्ष करते हुए समाज की उपेक्षा के कारण खो दिया था।

स्वस्थ पहल और हर ग्राम के कुछ लोगों को समयबद्ध कार्यक्रम देकर सहयोग करने की भावना से यह योजना जन-जन में एक स्थायित्व भरी स्थिति बन गई और लोग जुड़ते गए, काफिला बढ़ता गया वाली हालत चली गई।

महत्वाकांक्षी कदम : गरीबी से जूझने वालों के लिए यह योजना एक महत्वाकांक्षी कदम है। प्रस्तावित योजना के अनुसार आगामी 5 वर्षों की अवधि में लगभग 5 लाख निर्धनतम परिवारों के चयन की व्यवस्था है। इनमें 2 लाख 90 हजार परिवारों को 105 करोड़ रुपयों की राशि कर्ज के रूप में उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है। शेष बचे हुए 3 लाख 10 हजार परिवारों में से 41 हजार परिवारों को भूमि आबंटन से, 85 हजार परिवारों को खादी ग्रामोद्योग तथा 26 हजार परिवारों को ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाएगा। इस तरह से 5 वर्ष की अवधि में इन लोगों के दैन्य दैत्य से निपटने के लिए तथा उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करके आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये चाहिए।

श्री शेखावत को विश्वास है कि यदि अन्त्योदयी परिवार ईमानदारी से जूझेंगे तो स्थिति एकदम भिन्न हो जाएगी। थोड़ी-सी आर्थिक स्थिति सुधरते ही वे प्रगति के लिए नए स्रोत अपने आप तलाशने में सक्षम हो जाएंगे।

ईर्ष्या करने योग्य उपलब्धियां : योजना को क्रियान्वित करते अधिक वक्त नहीं बीता है। पर जो उपलब्धियां सामने हैं

वे ईर्ष्या करने योग्य हैं। कहीं-कहीं से छोटी बड़ी लैंतलाली और भ्रष्टाचार की बातें भी सुनने में आती हैं। प्रशासन ऐसी खबरों पर तुरन्त मुस्तैदी से कार्यवाही कर रहा है। इस योजना के तहत चुने गए परिवारों में से 89,442 परिवारों को किसी न किसी प्रकार के जीविका कमाने के साधन उपलब्ध करवा दिए गए हैं।

शासकीय आंकड़ों के अनुसार 50 प्रतिशत निर्धनतम परिवारों को अब तक लाभान्वित किया जा चुका है। 23,151 व्यक्तियों को वृद्धा अवस्था पेंशन, 26,366 को खेती करने योग्य भूमि, 5541 को करने योग्य रोजगार, 24,575 को अपना खुद का धंधा करने के लिए ऋण मंजूर किया गया है। शेष बचे 1809 व्यक्तियों को भी किसी न किसी प्रकार की सहायता प्रदान करके आर्थिक दृष्टि से सहयोग दिया गया है। उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, कोटा, सवाई माधोपुर, जोधपुर, गंगानगर, बूंदी, झालावाड़ आदि जिलों में परियाप्त कार्य हुआ है।

कोटा जिले की शाहाबाद, किशनगंज तहसीलों के सहरियों में इस योजना की आस्था का लेखक ने स्वयं अध्ययन किया है। केलबाड़ा, किशनगंज, शाहाबाद कस्बा थाना देवरी सीतावाड़ी आदि के कई किसानों से इस संदर्भ में चर्चा करने पर जो तथ्य सामने आए हैं वे यही हैं कि योजना अपने आप में सारी स्थितियों को बदल डालने वाली है, किन्तु उसका व्यक्ति खुद ही दुरुपयोग करने लगें तो क्या किया जा सकता है। उनमें जीवन को एक सर्वथा नए परिप्रेक्ष्य में जीने की भावना जाग उठी हैं।

मनोबल बनाए रखें : अभी तक जो हुआ है वह योजना का एक प्रांजल पक्ष प्रस्तुत करता है। आगे उसके साथ मनोबल बनाए रखने योग्य माहौल बनाए रखना जरुरी है। सिर्फ थोड़ी सी आर्थिक सहायता से ही दैन्य दैत्य के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकेगी। उसे उत्पादक योजनाएं बताई जाएं। उन्हें अपने पैरों पर खड़े रखने के लिए सतत उत्साहप्रद वातावरण रखना होगा। सामन्ती तत्व उनको प्राप्य साधन ले नहीं उड़ें, इस पर भी निगाहें रखनी होगी। यदि यह हो गया और वे पूरी पंचवर्षीय योजना इस गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के मोर्चे पर जूझते रह गए तो समझ लो राजस्थान से गरीबी भागती नजर आएगी। हम सबको ये स्थितियां अन्तोगत्वा बनानी ही चाहिए ? आइए हम सोचने के बजाए इसमें लग जाएं। ●

दैनिक सोशलिस्ट समाचार
मकबरा बाजार, कोटा-324006 (राज०)

'काम के बदले अनाज' योजना का अधिकतम लाभ लिया जाएगा

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से राजस्थान को 1977-78 में 6 हजार टन अनाज दिया गया था। इसमें से 3 हजार 609 टन अनाज गत वर्ष ही उठा लिया गया था। शेष अनाज इस वर्ष उपयोग में लेने की स्वीकृति दी गई है।

इस वित्त वर्ष के लिए 1 लाख 28 हजार टन अनाज भारत सरकार से आबंटित किया गया है जिसमें से 45 हजार टन अनाज सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, सामुदायिक विकास, वन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों तथा चम्बल एवं राजस्थान नहर परियोजना के कमाण्ड क्षेत्रों में और सहायता विभाग को दिया जा चुका है।

वर्ष 1978-79 के दौरान कुल साधन स्रोत लगभग 14 करोड़ 72 लाख होंगे।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम राजस्थान में इस वर्ष जनवरी से शुरू किया गया जबकि भारत सरकार ने इसे 1977-78 में प्रारंभ किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देहातों में रोजगार के अवसर पैदा कर उपलब्ध खाद्यान्न के स्टाक को कार्य के बदले उपयोग में लाना है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को निशुःल्क ही अनाज दिया जाता है ताकि राज्य की बजट स्थिति पर असर न पड़े और योजनागत एवं गैर योजनागत कार्यों में पूंजीगत नए काम शुरु किए जा सकें और साथ ही मरम्मत आदि के कार्य भी हो सकें।

श्रमिकों को पगार भुगतान के बदले 115 रु० प्रति क्विंटल की दर से गेहूं वितरित किया जाता है।

राज्य की 1978-79 की वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिए जाने के समय यह इंगित किया गया था कि काम के बदले अनाज के अन्तर्गत 10 करोड़ रु० राज्य की योजना के लिए बढ़ाए जाएंगे। योजना आयोग ने राज्य की वार्षिक योजना के लिए 235 करोड़ रु० की स्वीकृति दी है।

इस सहायता के अधिकाधिक उपयोग से गांव में गरीबों के लिए मूलभूत सामाजिक सेवाएं सुलभ कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि सिंचाई विभाग के माध्यम से लघु सिंचाई तालाब और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से टैंकों का निर्माण कार्य हाथ में लिया जाए

विभिन्न पंचायत क्षेत्रों के गांवों में तालाब बनाने के लिए सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग की भी सहायता सुलभ करायी जाएगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में योजक सड़कों तथा स्कूलों के भवन बनाने का कार्य भी हाथ में लिया जाएगा। इससे गांवों में रोजगार के उल्लेखनीय अवसर प्राप्त हो सकेंगे। ●

रेगिस्तान में हरियाली की नई तकनीकें

डा० श्याम मांडावत

इसे मानसून के देव की अनुकंपा कहा जाए या पिछले कुछ सालों में आया हुआ पर्यावरण संबंधी परिवर्तन, मगर यह सच है कि तीन सालों से लगातार राजस्थान के थार मरुस्थल के दूर दराज तक के इलाकों में सामान्य औसत से कहीं अधिक बरसात हो रही है। इस स्थिति का अप्रत्यक्ष लाभ तो यह मिलेगा ही कि सम्पूर्ण क्षेत्र का भू-जल स्तर काफी ऊंचा उठेगा लेकिन साथ ही यदि मरुस्थलीय पेड़ पौधे लगाने जैसे विशाल कार्यक्रम भी हाथ में लिए जा सकें तो इन बरसातों की बदौलत इस अभिशप्त प्रदेश का उद्धार होने की दिशा में काफी प्रगति की जा सकती है। जुलाई 1977 में तो राजस्थान में वर्षा का पिछले सौ सालों का रिकार्ड टूटा है।

राजस्थान के ये आठ रेगिस्तानी जिले (बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, गंगानगर, नागौर तथा जालौर) जहाँ अब मानसून की इतनी मेहरबानी हो रही है, वे हैं जहाँ कई सालों तक मामूली बरसात भी नहीं हुई थी। जैसलमेर की 1973 की बरसात के बाद तो यह समाचार तक छपे थे कि वहाँ आठ साल की आयु के बच्चों ने जब आसमान से पानी की बूंदें गिरती देखीं तो वे अचरज में पड़ गए क्योंकि उन आठ सालों में कोई वर्षा ही नहीं हुई थी।

अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्र

कहने को तो रेगिस्तान राजस्थान में ही है मगर देश में कुल मिला कर 72 सूखाग्रस्त जिले हैं जिनमें से केवल नौ ही राजस्थान में हैं। 1972 की सिंचाई आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के आठ राज्यों में 5 करोड़ हेक्टेयर भूमि ऐसी है जहाँ सूखे एवं अकाल की स्थिति हर थोड़े सालों के बाद पैदा होती रहती है। विशेषज्ञों की यह धारणा है कि दो फसलें उगाने के लिए 75 सेंटीमीटर वर्षा का वार्षिक औसत जरूरी होता है। लेकिन हमारे यहां बरसात का बटवारा न तो समय की दृष्टि से बराबर है और न ही स्थान की दृष्टि से, उसमें कोई समानता है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बड़े इलाके प्रायः सूखे की चपेट में आते रहते हैं। सितम्बर तक समाप्त होने वाले चार महीनों में देश में साल भर की तीन-चौथाई बरसात हो चुकी होती है। इसी तरह देश के कुल खेती लायक क्षेत्र का 33 प्रतिशत इलाका सूखाग्रस्त है जिसमें कुल अनाज का सिर्फ 20 प्रतिशत ही पैदा होता है।

नतीजा यह है कि इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बसने वाले लोगों की आय भी समुचित वर्षा या सिंचित इलाकों के लोगों की आय से काफी कम है। इन क्षेत्रों के किसान कम भाव पर बिकने वाला मोटा अनाज ही उगा सकते हैं, जिसमें कम वर्षा की जरूरत पड़े। अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा की अपर्याप्तता के कारण एक ही फसल बड़ी मुश्किल से हो पाती है। सूखे से बार-बार हैरान होने वाले ये किसान अधिक लाभ कमाने की जगह हर समय इसी फिक्र में रहते हैं कि उनका नुकसान कम से कम हो। कम फसलों से इन सूखाग्रस्त जिलों में बेकारी और अर्द्ध-बेकारी भी अधिक है और प्रतिशत ऋणग्रस्तता भी सिंचित एवं पर्याप्त वर्षा वाले जिलों के मुकाबले ज्यादा है।

केन्द्रीय शुष्क मंडल अनुसंधान संस्थान, जोधपुर

सूखा निवारण कार्यक्रम

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में गरीबी घटाने के लिए सरकार ने 1970-71 से ही एक "सूखाग्रसित क्षेत्र कार्यक्रम" आरंभ किया था जो अब अपनी 254 इकाइयों के अन्तर्गत सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पारिस्थितिक परिवर्तन लाने हेतु सिंचाई के साधनों का विकास, फसलों की संरचना में परिवर्तन, मिट्टी व नमी का संरक्षण, वन लगाना, खेती की तकनीक में तब्दीली तथा पशुधन के संवर्द्धन जैसे उपाय किए जा रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि इस कार्यक्रम से सूखाग्रस्त इलाकों के सात लाख किसान एवं भूमिहीन मजदूर लाभान्वित हो सकेंगे। सूखाग्रस्त जिलों की करोड़ों की आबादी में यह संख्या बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं कही जा सकती मगर शुरुआत ठीक दिशा में है। अधिक लोगों को तो लाभ तभी मिल सकेगा जब इन सूखे इलाकों में फसलों की खेती को प्रोत्साहन दिया जाए तथा उनके लिए सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं।

देश के कई कृषि विश्व विद्यालय भी अब सूखाग्रस्त क्षेत्रों की तरफ अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। कम वर्षा वाले इलाकों में गेहूं जैसी महत्वपूर्ण फसल का उत्पादन 150 प्रतिशत बढ़ाने के लिए हाल ही में पंजाब विश्वविद्यालय ने एक तीन सूत्री कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम में मिट्टी में नमी को सुरक्षित रखने तथा उसका उपयोग

करने, रासायनिक खादों को मिट्टी में समुचित गहराई तक पहुंचाने तथा सही फसलों का चुनाव करने को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र की एक स्वयं सेवी संस्था ने एक ऐसी योजना सरकार के सामने रखी है जिसमें पानी की हर बूंद का उपयोग कर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों की उत्पादकता में 50 प्रतिशत वृद्धि का दावा किया गया है।

रेगिस्तानों के विस्तार पर नियंत्रण लगाने के लिए इजरायल, सउदी अरब तथा अन्य उत्तरी अफ्रीकी देशों में इन सालों में कई उपाय किए गए हैं। बड़े भूभाग पर उपजाउ मिट्टी या ऐस्फाल्ट का छिड़काव, रेगिस्तानी या कम पानी से काम चला सकने वाले पेड़ों का लगाना तथा खारे समुद्री पानी का उपयोग करने जैसे उपाय हमारे लिए भी पर्याप्त उपयोगी हो सकते हैं। नवगठित योजना आयोग के सदस्य प्रो० राजकृष्ण ने कुछ वर्षों पूर्व यह सुझाव दिया था कि यदि अरब सागर पर एक निर्लवणीकरण प्लांट लगा दिया जाए तो राजस्थान के मरु-प्रदेश के लिए पानी की कमी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। आशा तो यही है कि वे ऐसी ही किसी अपरंपरागत योजना को योजना आयोग के तत्वावधान में तैयार कर सूखे इलाकों को राहत दिलाने का प्रयास करेंगे।

अब यह तो सिद्ध हो चुका है कि रेगिस्तान भी लहलहा सकते हैं। जरूरत संगठित एवं विशाल पैमाने पर प्रयास करने की है। जब इन दिनों सरकार के सामने विशाल हिमालय नहर बनाने तथा गंगा को कावेरी से जोड़ने जैसी योजना विचारार्थ हैं तो रेगिस्तान में जीवन का संचार भी संभव बन सकता है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए उपयोगी विशेष तकनीकों के अनुसंधान तथा किसानों तक उनके प्रसार की व्यवस्था करके भी इस दिशा में काफी कुछ करना संभव है।

जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम सफलता की ओर

जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम की शुरूआत उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने और उद्यमियों को एक ही स्थान से सभी प्रकार की सहायता और सुविधाएं सुलभ कराने, जिससे कि उन्हें आवश्यक साज सामान के लिए एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी न दौड़ना पड़े, के लिए की गई है। पांच ...ने पूर्व जब औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य ...ा गया था तब यह आशा व्यक्त की गई थी ... आगामी चार वर्षों में देश भर में 460 जिला उद्योग केन्द्र खोले जाएंगे। इस कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतने कम समय में ही 188 केन्द्र खोले जा चुके हैं जो उद्यमियों को सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। अगर इस कार्यक्रम की गति यही रही तो आशा है कि अगले वर्ष के आरम्भ तक सभी 460 जिला उद्योग केन्द्र स्थापित कर दिए जाएंगे।

सरकार इन केन्द्रों के क्रिया-कलापों में गहरी रुचि ले रही है। जिला उद्योग केन्द्रों के काम की प्रगति की समीक्षा करने और इस कार्यक्रम को लागू करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए उपाय सुझाने के लिए इस समय राजधानी में एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया था जिसमें राज्यों में उद्योग मंत्रियों के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों के उद्योग 'आयुक्त व निदेशक' तथा कई अखिल भारतीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

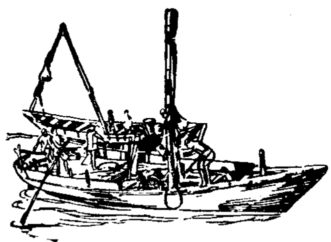

व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम क्यों और कैसे ?

--बटुकेश्वर दत्त सिंह

किसी भी समुदाय के स्वास्थ्य एवं पोषाहार के स्तर का सूचक उसकी बालमृत्यु दर होती है। भारत की कुल जनसंख्या के 15 प्रतिशत में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे आते हैं जिनमें से लगभग 40 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु हो जाती हैं, जबकि पाश्चात्य विकसित देशों में बालमृत्यु का यह प्रतिशत केवल 7 है। यह कितना बड़ा अभिशाप है कि भारत मां के लगभग 10,0000–(दस लाख) बच्चे प्रतिवर्ष अकाल मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं। देश में बाल मृत्यु दर लगभग इक्यासी प्रति हजार है जबकि उत्तर प्रदेश में यह सौ प्रति हजार है।

सर्वेक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि भारत जैसे संसार के अधिकांश विकासशील देशों में जन्म लेने वाले लगभग 20 से 25 प्रतिशत बच्चों की जीवन लीला पांचवीं वर्षगांठ मनाने के पूर्व ही समाप्त हो जाती है। बच्चों में मृत्यु दर अधिक होने का प्रमुख कारण है, पोषण की समस्या क्योंकि कुपोषित कमजोर बच्चों में अन्य रोगों का संक्रमण भी सरलता से लग जाता है। ऐसा अनुमान है कि संसार में प्रत्येक समय लगभग एक करोड़ बच्चे कुपोषण से इतने प्रभावित रहते हैं कि उनका जीवन जोखिम में रहता है। भारत में ही प्रतिवर्ष पांच लाख बच्चे कुपोषण के कारण काल के गाल में समा जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में किए गए सर्वेक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि प्रदेश में 33 से 40 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से ग्रसित रहते हैं। प्रदेश के कुल मृत बच्चों में से 40 प्रतिशत पांच वर्ष से कम आयु के होते हैं। प्रदेश में कुपोषण से प्रभावित बच्चों में से 50 प्रतिशत प्रोटीन कैलौरी कुपोषण से ग्रसित होते हैं तथा शेष 50 प्रतिशत में से अधिकांश में रक्त अल्पता पाई जाती है। 1961 में हुई जनगणना के आधार पर इस समय प्रदेश में अनुमानतः पौने दो करोड़ से भी अधिक 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं।

किशोरावस्था से पूर्व की आयु के बच्चों की संख्या भारत में पूरी जनसंख्या का 38 प्रतिशत है जबकि विश्व के उन्नत देशों में यह केवल 20 प्रतिशत ही है। इस अवस्था तक बच्चे अपने माता-पिता तथा अभिभावकों पर हर दृष्टि से अवलम्बित रहते हैं। उनके पालन पोषण का भार पूरी तरह समाज का होता है और इस प्रकार वे सामाजिक स्वास्थ्य एवं पोषाहार के स्तर को प्रभावित करते हैं जिससे कुपोषण की स्थिति और भी जटिल हो जाती है।

देश में कुपोषण एवं अल्प पोषण का शिकार मुख्य रूप से समाज का कोमल वर्ग होता है, जिसमें शिशु, स्कूल जाने की आयु के पूर्व के बच्चे, स्कूली बच्चे तथा गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताएं आती हैं। समाज का यह कोमल वर्ग सामान्यतः प्रोटीन-कैलोरी कुपोषण, लोहा की कमी से होने वाली रक्त-अल्पता तथा विटामिन-ए के कुपोषण से प्रभावित होता है। सर्वेक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि देश के समस्त खाद्य उत्पादन को देखते हुए एक प्रौढ़ व्यक्ति को प्रतिदिन केवल 2,000 कैलोरी का आहार मिलता है जबकि एक साधारण काम करने वाले वयस्क पुरुष को 2,400 कैलोरी, औसत काम करने वाले को 2,800 कैलोरी तथा कठिन काम करने वाले को 3,900 कैलोरी आहार प्रतिदिन मिलना चाहिए।

हमारे समाज के जो अधिक गरीब लोग हैं, उनमें तो प्रति प्रौढ़ पुरुष 1700 कैलोरी तथा प्रति प्रौढ़ स्त्री केवल 2400 कैलोरी का ही दैनिक आहार मिल पाता है। गरीब बच्चों में से 90 प्रतिशत तक ऐसे पाए जाते हैं जिनके आहार में 300 से 400 कैलोरी तक प्रति किशोर सामान्य कुपोषण से ग्रस्त हैं तथा 18 प्रतिशत पर भीषण रूप से कुपोषण का कुप्रभाव रहता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के आधार पर विटामिन-ए की कमी से विश्व में प्रति वर्ष एक लाख बच्चे अन्धे हो [illegible] हैं जिनमें से 10 हजार बच्चे भारत के [illegible] हैं। कुपोषण तथा अल्प पोषण के का[illegible] विश्व के लगभग 10 करोड़ 5 वर्ष की आयु [illegible] के बच्चों का शारीरिक तथा मानसिक विका[illegible] ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है।

बच्चों को जन्म देने वाली माताओं में से बहुत बड़ी संख्या उनकी होती है जो गर्भावस्था में अन्तिम महीनों में भीषणरूप से रक्त अल्पता से प्रभावित रहती हैं। ऐसा ज्ञात हुआ है कि गर्भवती स्त्रियों में कुपोषण के कारण औसत से कम शरीर भार के शिशुओं का जन्म होता है तथा गर्भवती माताओं में होने वाले 30 प्रतिशत गर्भपात

का कारण भी यही स्थिति होती है। कुपोषित एवं अस्वस्थ माताओं में स्वस्थ शिशु जन्म की आशा कैसे की जा सकती है।

व्यक्तियों और समूचे राष्ट्र के अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार आवश्यक होता है। बच्चों और माताओं में ही नहीं, कुपोषण का कुप्रभाव समाज के सभी आयु वर्गों के लोगों पर स्पष्ट देखा जा सकता है। पुष्टाहार की कमी का प्रभाव सीधा मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है। अस्वस्थ मनुष्य की कार्य क्षमता में कमी आती है और उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन घटता है। कम उत्पादन होने से आमदनी कम होती है। कम आमदनी व्यक्ति के जीवन स्तर को उंचा नहीं उठने देती और वह कुपोषण के कुचक्र में निरंतर उलझता चला जाता है।

देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की भोजन संबंधी आदतें निकटवर्ती क्षेत्रों में उपलब्ध खाद्य सामग्री के अनुसार होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि लोगों की स्थानीय रूचि के अनुसार स्वास्थ्यवर्धन पौष्टिक भोजन तैयार करने की विधियां विकसित की जाएं। सभी को स्थानीय उपलब्धि के अनुसार पुष्टाहार सहज सुलभ हो सके, देश की नई पीढ़ी की नींव स्वस्थ पड़े तथा व्यक्तियों और समूचे राष्ट्र के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा हो इसके लिए आवश्यक है कि सभी को कुपोषण के कुचक्र से छुड़ाकर सुपोषण के सुचक्र की ओर लाया जा सके। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में व्यावहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम द्वारा समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय खान-पान के विविध तरीकों में सुधार लाते हुए पोषाहार की अच्छी आदतों को बढ़ावा देने का एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गांव में ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे वहां पौष्टिक एवं पोषक भोजन जैसे फलों, सब्जियों, मछलियों तथा कुक्कुट का उत्पादन, परीक्षण और उपयोग बढ़ाया जा सके। व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज के दुर्बल वर्गों के 5 से कम आयु के बच्चों, गर्भवती औरतों, जच्चाओं को पोषक तत्वों से युक्त संतुलित आहार के उपयोग और व्यावहारिकता के बारे में प्रदर्शन कराया जाता है। यह कार्यक्रम अपनी सहायता आप करने पर बल देता है। इसके अन्तर्गत लोगों को फल और सब्जी उगाने, मुर्गी पालन करने तथा गांव के तालाबों में मछली पालने के लिए स्थानीय साधनों का उपयोग करने को प्रोत्साहित किया जाता है। गांव के स्तर पर कार्यक्रम के मुख्य अंग हैं 1. पौष्टिक एवं स्वास्थ्य रक्षक खाद्य पढ़ार्थों का उत्पादन, 2. ऐसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन में लगे व्यक्तियों, ग्राम नेताओं, ग्राम युवकों और महिला मंडलों की सदस्याओं तथा प्रसार कार्यकत्ताओं का प्रशिक्षण, 3. पोषक पदार्थों के उपयोग का व्यावहारिक प्रदर्शन देना जिसके अन्तर्गत ग्राम वासियों को यह बताया जाता है कि वे स्थानीय सहज सुलभ खाद्य पदार्थों से पौष्टिक भोजन कैसे बनाएं।

बटुकेश्वर दत्त सिंह
प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी
प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र,
बक्शी का तालाब, लखनऊ।

कुरुक्षेत्र के बारे में पाठक की राय

चुन्नीलाल सलूजा

[क्षे]त्रीय विकास की एक झलक के रूप में कुरुक्षेत्र अप्रैल-78 का अल्मोड़ा विशेषांक सराहनीय रहा। देश के विभिन्न भागों की ग्रामीण विशेषताओं को प्रकाश में लाने की जो मुहिम 'कुरुक्षेत्र' के माध्यम से चलाई गई है वह प्रशंसनीय है। मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, बस्तर, जैसलमेर आदि सुदूरवर्ती क्षेत्रों की अपनी अपेक्षाएं हैं। इन क्षेत्रों की निरंतर उपेक्षा नहीं की जा सकती। इन क्षेत्रों का विकास इन पर ध्यान देकर ही हो सकता है। इस दृष्टि से आपने एक अच्छा कदम उठाया है। देश के विभिन्न आंचलों की इस प्रकार की विशद जानकारी देते रहें।

'केन्द्रीय बजट में ग्रामीण क्षेत्रों ......' तथा 'त्रिमुखी वन खेती' उपयोगी लेख है। 'सरकारी काम काज में उपयोग के लिए हिन्दी ......' लेख उन लोगों के लिए प्रेरक है जिन्हें हिन्दी से 'एलर्जी' है।

वास्तव में हिन्दी तो ऐसी व्यावहारिक भाषा है जिसमें सभी भाषाओं के शब्द अपना निजी व रूप बना लेते हैं। ऐसे सभी शब्द अन्य भाषाओं के होते हुए भी हिन्दी के ही जान पड़ते हैं। 'स्टेशन', 'टिकट', स्कूल" क्या हिन्दी के शब्द नहीं हैं? ऐसे शब्दों को हिन्दी शब्द ही मानना हिन्दी के साथ न्याय होगा।

कृपया पत्रिका में पृष्ठ संख्या बढ़ाएं अथवा इसे पाक्षिक कर ग्राम सेवा में अपना सक्रिय योगदान दें।

—संजीव सदन,
फिजिकल कालेज रोड
शिवपुरी (म०प्र०)

कम्पोस्ट खाद अपनाएं

* डा० रामगोपाल चतुर्वेदी

खेती हमारे देश का मुख्य धन्धा है। कुल आबादी का 70 फीसदी भाग खेती के काम में लगा हुआ है। पिछले तीस वर्षों में खेती की पैदावार बहुत बढ़ी है। पिछले वर्ष 1977–78 में अनाज की पैदावार करीब 12.5 करोड़ टन हो गयी थी। इस तरह पिछले वर्ष के मुकाबले 10 से 12 प्रतिशत तक खेती की पैदावार में बढ़ोतरी हुई। खेती की पैदावार में जो बढ़ोतरी हुई है उसका मुख्य कारण यह है कि सिंचाई की सुविधा का विस्तार निरंतर किया जाता रहा है। सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाओं को पूरा करने की ओर तत्परता से ध्यान दिया गया है। भूमिगत पानी के उपयोग का पूरा-पूरा लाभ उठाने की कोशिश की गयी है। आगे भविष्य में भी अन्य साधनों के अलावा इस ओर अधिक ध्यान दिया जाएगा। आशा है कि इस प्रकार काम करने पर सिंचाई का क्षेत्रफल सन् 1982–83 तक एक करोड़ 70 लाख हेक्टेयर तक बढ़ जाएगा। साथ ही ये कोशिश की जाएगी कि अधिक से अधिक क्षेत्रफल में ज्यादा उपज देने वाली गेहूं की किस्में बोई जाएं। अधिक उपज देने वाली किस्मों के विस्तार के साथ ही रासायनिक खाद का प्रयोग भी बढ़ता जाएगा। रासायनिक खाद अब देश में काफी मात्रा में बनने लगी है और उसकी खपत भी दिनों दिन बढ़ती जाती है।

हाल में दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफ ए० ओ०) तथा अन्य विकासशील देशों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें इस बात पर गहराई से विचार किया गया था कि रासायनिक खाद के साथ-साथ जैविक खाद के इस्तैमाल को भी बढ़ावा दिया जाए। इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कृषि और सिंचाई मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला ने जैविक खाद्यों के महत्व पर प्रकाश डाला। इसका कारण उन्होंने यह बताया कि रासायनिक खाद का प्रयोग उन्हीं क्षेत्रों में सफलता से किया जा सकता है, जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हों। रासायनिक खाद देने पर कई बार सिंचाई करनी पड़ती है, तभी फसल अच्छी होती है। फिर रासायनिक खाद की कीमत भी ज्यादा होती है, जो छोटे किसान के बूते से बाहर हो जाती है। इस समस्या का हल तभी हो सकता है, जब जैविक खादों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। कहने का मतलब यह है कि गोबर और कूड़ा-कचरा तथा मल-मूत्र मिलाकर कम्पोस्ट खाद अधिक मात्रा में बनाई जाए और इस जैविक खाद को ऐसे क्षेत्रों में काम में लाया जाए, जहां सिंचाई की पूरी-पूरी सुविधाएं मुहैय्या नहीं हैं। बात यह है कि जैविक खाद के प्रयोग से भूमि की बनावट में सुधार होता है और उसमें ऐसे जीव-जन्तु और बैक्टीरिया आसानी से पनप जाते हैं, जो भूमि की संरचना में पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं। इस तरह भूमि का सुधार होने पर फसल अच्छी होती है और रासायनिक खाद की बचत हो जाती है।

आगे केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री बरनाला जी ने बताया कि रासायनिक खाद के साथ-साथ जैविक खाद को भी इस्तैमाल करना चाहिए, जिससे भूमि की संरचना में सुधार होगा और ऐसे पोषक तत्व भी भूमि को मिल सकेंगे, जिनकी मात्रा तो बहुत कम ही काम आती है, पर लाभ बड़ा भारी होता है। उन्होंने बताया कि केवल रासायनिक खाद के इस्तैमाल से ही काम नहीं चल सकता। जैविक खाद भी उतनी ही जरूरी है, जितनी कि रासायनिक खाद। रासायनिक खादों को लगातार इस्तैमाल करने से भूमि की संरचना में काफी परिवर्तन हो जाता है और भूमि के प्राकृतिक पोषक तत्व कम हो जाते हैं। इन्हें पूरा करने के लिए जैविक खाद का प्रयोग बराबर किया जाना चाहिए। इस प्रकार उपज में बढ़ोतरी होगी और भूमि में सुधार भी होगा।

पिछले कुछ वर्षों से रासायनिक खादों का प्रयोग निरंतर बढ़ा है और यह जरूरी भी था, क्योंकि अनाज की अधिक उपज देने वाली फसलों और बहुफसली खेती के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग जरूरी है। परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि जैविक खाद के काम में न लाने से भूमि के गुणों में गिरावट आ जाती है। जैविक खाद का प्रयोग हमारे यहां परम्परागत रुप से होता रहा है। हमारे देश के राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी जी ने इस बात पर बड़ा बल दिया था। जरूरत इस बात की है कि इस बहुमूल्य खाद के महत्व को हम पहचानें और इसकी अधिक से अधिक खपत करने की ओर ध्यान दें।

जैविक खाद के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। यह गांव में ही उपलब्ध हो सकती है। गांवों में कम्[illegible] खाद तैयार की जा सकता है। [illegible] गोबर और गांव के कूड़े-कचरे तथा म[illegible] मूत्र को मिलाकर गढ्ढों में भरा जा सक[illegible] है उसका उपयोग जैविक खाद तैया[illegible] करने में हो सकता है। हिसाब लगाया गया है कि इस तरह करीब साठ लाख टन पोषक तत्व ऐसी जैविक खाद तैयार करके प्राप्त किए जा सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जैविक खाद की पूर्ण क्षमता को समझा जाए और गोबर आदि कूड़े-कचरे का पूरा-पूरा उपयोग किया जाए। मवेशियों के गोबर को जलाया न जाय। इसके लिए शासन की ओर से गोबर-गैस संयंत्र बड़ी संख्या

लगाए जा रहे हैं। अब तक 60,000 गोबर गैस संयंत्र लगाए जा चुके हैं। गैस के प्रयोग से ईंधन का काम चल जाएगा और खेती के लिए जैविक खाद अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकेगी। यद्यपि इस ओर शासन ने कम्पोस्ट बनाने के भी संयंत्र लगाए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। गोबर गैस संयंत्र लगाने में अभी काफी खर्चा पड़ जाता है। भविष्य में ऐसा प्रयत्न किया जाएगा कि इसमें कम लागत आए और गोबर गैस संयंत्र कम कीमत में चालू किए जा सकें। ऐसा होने पर ही छोटे किसानों को भी इसका लाभ मिल सकता है।

इस दिशा में कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान बहुत सहायता कर सकते हैं। ऐसे प्रयोग करके यह पता लगा सकते हैं कि कम्पोस्ट खाद को और अधिक गुणकारी कैसे बनाया जाए और पौधों के लिये पोषक तत्वों का उपयोग इस खाद के माध्यम से और अधिक किया जाए। यद्यपि अभी हालात ऐसे हैं कि जैविक खाद के बहुत थोड़े भाग का ही इस्तैमाल किया जाता है, परन्तु भविष्य में यह चेष्टा की जाएगी कि जैविक खाद का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए और इसको बेकार न जाने दिया जाए। आज तो जैविक खाद का बहुत सा हिस्सा गांवों और शहरों में बेकार ही पड़ा रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि दलहनी फसलों को अधिक मात्रा में उगाया जाए और सनई और ढेंचा आदि उगाकर हरी खाद खेतों में दी जाए। दलहनी फसलों के उगाने से दो लाभ और भी हैं। एक तो दालों से भोजन में प्रोटीन मिलता है, जिसकी हमारी खुराक में प्रायः कमी रहती है। दूसरा लाभ यह है कि दलहनी फसलों से भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे अगली फसल की बढ़ोतरी में मदद मिलती है।

यही नही दलहनी फसलों के लिए राइजोबियम कल्चर का अधिक से अधिक इस्तैमाल किया जाना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में तो इसका इस्तैमाल दलहनी फसलों के लिए पहले ही से किया जाता रहा है, बाकी क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिए। इस बात के भी प्रयत्न किए जाने चाहिए कि रासायनिक खादों के इस्तेमाल पर होने वाले खर्च को हम किस तरह नीली हरी शैवाल का इस्तैमाल करके कम कर सकते हैं। क्योंकि इस काई को डालने से इसमें मौजूद जीवाणु हवा से नाइट्रोजन खींचकर उसे पौधों के लिए सुलभ बना देते हैं। शहरों के कूड़े-कचरे की कम्पोस्ट खाद 32 सौ केन्द्रों पर बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। इस योजना के अन्त तक बड़े बड़े नगरों में 50 संयंत्र कम्पोस्ट लगाये जा रहे हैं, जो 150 टन कचरे से रोजाना कम्पोस्ट तैयार करेंगे। इस तरह से इन संयंत्रों के लगते ही दस लाख टन खाद बनेगी, जिसमें दस हजार टन नाइट्रोजन, फासफोरस और पोटाश हर साल भूमि के लिये उपलब्ध हो सकेगा।

इस सम्मेलन में पहली बार इस बात पर प्रकाश डाला गया कि जैविक खाद के समुचित उपयोग से पैदावार में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ रासायनिक खाद की खपत में भी कमी होगी और दोनों प्रकार के खादों के मेल से खेती में किसान को कम लागत लगानी पड़ेगी। जैविक और रसायनिक खाद दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। केवल रासायनिक खाद का प्रयोग करना छोटे किसान के लिए मंहगा पड़ता है और किसानों में अधिकतर हिस्सा छोटे किसानों का ही है। शासन की ओर से छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों के विकास के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं जुटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस दृष्टि से इस विषय पर हुए इस सम्मेलन का बड़ा महत्व है। जैविक खाद के व्यापक पैमाने पर उपयोग में लाने से खेती के लिए दूरगामी परिणाम हासिल होंगे। हिसाब लगाया गया है कि गांवों में हर साल कम से कम 32 करोड़ टन जैविक खाद तैयार की जा सकती है जब कि इस समय कुल 20 करोड़ 50 लाख टन जैविक खाद हर साल तैयार हो रही है। यानि जैविक खाद की मात्रा म साढ़े ग्यारह करोड़ टन बढाने की गुंजाइश तो ऐसी है, जिसे तुरंत पूरा किया जा सकता है। आशा है, इस सम्मेलन से किसान भाइयों और कृषि से संबंधित विभागों का ध्यान जैविक खाद के इस महत्वपूर्ण स्रोत की ओर जाएगा और कृषि विकास में इसके उपयोग के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।●

"भाग्य की प्रतीक्षा में बैठे रहना तामसिकता है, साधना द्वारा आगे बढ़ना राजसिकता है और वह साधना यदि निष्काम भावना से की जाए तो उसे सात्विकता कहा जाता है। सात्विकता पर जितना अधिकार पुरुष का है, उतना ही नारी का भी और मनुष्य जीवन पाकर इतने बड़े अधिकार को योंही गंवा देने से बड़ा दुर्भाग्य भी और कोई नहीं।

रवीन्द्र नाथ टैगौर

विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था की नयी रणनीति

—प्रदीप कुमार मेहता

स्वतन्त्रता के बाद से ही देश के पुनर्निर्माण से गांधीवादी विचारधारा एक सर्वमान्य तथ्य के रूप में निरन्तर स्वीकृत रही है। इस विचारधारा की उपयुक्तता का मुख्य कारण इसकी भारतीय संस्कृति की उन मूल धारणाओं से अनुकूलता है जिनमें रह कर सदियों से हमारा समाज पल्लवित और पुष्पित होता रहा है। आज देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस व जनता पार्टी—इसके प्रति प्रतिबद्ध ही नहीं, वरन् इसे कार्यरूप में परिणत करने हेतु कृतसंकल्प भी है। इस सम्बन्ध में उनकी यह मान्यता रही है कि हमारे देश का विकास सही अर्थों में गांधी दर्शन पर आधारित समाज व्यवस्था से ही हो सकता है। गांधी दर्शन पर आधारित समाज का मूल तत्व आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण में निहित है।

सभी प्रकार की समाज व्यवस्थाओं को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक प्रकार की समाज व्यवस्था वह होती है जिसके अन्तर्गत निर्णय करने के सारे अधिकार एक या कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित रहते हैं और अन्य सारे लोग उनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करने का माध्यम मात्र होते हैं। इस प्रकार के ढांचे के अन्तर्गत, हर क्षेत्र में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति रहती है। इसके विपरीत, दूसरे प्रकार की समाज व्यवस्था विकेन्द्रित समाज व्यवस्था होती है। इस तरह की समाज व्यवस्था के अन्तर्गत अधिकारों व शक्तियों का विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के मध्य वितरण कर दिया जाता है। इसके अन्तर्गत निर्णय लेने की प्रक्रिया नीचे से प्रारम्भ होकर उपर की ओर जाती है और सभी संबंधित पक्ष निर्णय में सम्मिलित होते हैं। यह सही है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय लेने में कुछ समय लगता है लेकिन यदि निर्णय प्रक्रिया पूर्ण रूप से प्रभावी व सक्षम हो तो लगने वाले समय को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

भारत की 80 प्रतिशत जनसंख्या आज भी गांवों में रहती है। अतः भारत की तीव्र प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। इसके लिये नियोजन प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन करने होंगे। केन्द्रीय स्तर पर नियोजन की व्यवस्था को छोड़ कर नीचे से नियोजन प्रारम्भ करके ऊपरी स्तर पर उसे अन्तिम रूप देने की व्यवस्था का विकास करना होगा।

नीचे से नियोजन प्रारम्भ करने की एक मूलभूत आवश्यकता यह है कि ऐसी ग्राम इकाइयों का गठन किया जाए जो विकास आवश्यकताओं की दृष्टि से सजीव इकाइयां सिद्ध हो सकें। जनसंख्या की दृष्टि से गांवों की संरचना काफी विषम है (देखिये तालिका-1)। इसके लिये प्रारम्भिक स्तर पर सभी गांवों को इस प्रकार

तालिका–1

जनसंख्या वितरण	गांवों की संख्या (प्रतिशत)	जनसंख्या (प्रतिशत)
1–499	55.34	16.37
500–999	23.08	21.50
1000–1999	14.23	25.77
2000–4,999	6.25	23.82
5000–9,999	0.86	7.45
10,000 से अधिक	0.24	5.90
कुल	100.00	100.00

समायोजित किया जाए कि जिसके अन्तर्गत एक निश्चित स्तर से कम क्षेत्र न हो तथा जनसंख्या एक सीमा के अन्दर (जैसे 500–1000 या 1000-2000) हो। इस प्रारम्भिक समायोजन से प्राप्त सभी विकास इकाइयों की सजीवता का दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी विकास इकाई की सजीवता में जनसंख्या और क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य अनेक तत्व सम्मिलित होते हैं जिनको एक सजीव विकास इकाई के निर्धारण में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्थान देना होगा। इन तत्वों में कुछ प्रमुख हैं, क्षेत्र विशेष की फसल-संरचना, भूमि की गुणात्मक प्रकृति, भूमि के अतिरिक्त अन्य संभावित उपयोग और उनकी तुलनात्मक लाभदायकता, विकास के लिए आवश्यक

आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि आदि। सजीव विकास इकाइयों के गठन के पश्चात अनुकूलतम जोत का आकार निर्धारित करना होगा। विभिन्न फसलों के लिये अनुकूलतम जोत का आकार भिन्न-भिन्न होगा। उदाहरण स्वरूप, चाय, काफी, कपास, चरागाह आदि के लिए निर्धारित जोत आकार सामान्य से बड़े होंगे जबकि साग-सब्जी, पशुपालन जैसे उपयोगों में जमीन से छोटे छोटे टुकड़ों को भी सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया जा सकेगा। इसी प्रकार जोत का आकार क्षेत्र विशेष की वातावरणीय विषमता पर भी निर्भर करेगा।

संक्षेप में कहने का तात्पर्य यह है कि भारत जैसे विशाल व विविधता वाले देश के लिए सजीव विकास इकाइयों व अनुकूलतम जोत के आकार का निर्धारण समान आधारों पर नहीं किया जा सकता। क्षेत्रीय विषमताओं को विभिन्नता निर्धारणों में महत्वपूर्ण स्थान देना अपने आप में एक दुष्कर कार्य है। इसके लिये यह सुझाव दिया जा सकता है कि प्रत्येक जिले को एक विकास क्षेत्र मानना चाहिए और इस विकास क्षेत्र के अन्तर्गत पाई जाने वाली परिस्थितियों व सुविधाओं को ध्यान में रखकर विकास इकाइयों का निर्धारण करना चाहिए। आवश्यकता होने पर परस्पर जुड़े हुए विकास क्षेत्रों के सीमावर्ती क्षेत्रों को एक विकास क्षेत्र के दूसरे विकास क्षेत्र में रखा जा सकता है ताकि विकास इकाइयों के गठन में व्यवधान न आए।

इन विकास इकाइयों के स्तर पर विभिन्न विकास योजनाओं को तैयार किया जाना चाहिए। इस प्रकार तैयार योजनाओं का अनुमोदन क्षेत्रीय, राज्यीय व केन्द्रीय स्तर पर होना चाहिए। विभिन्न विकास इकाइयों को अपनी विकास योजनाएं तैयार करते समय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना होगा। विभिन्न विकास इकाइयों द्वारा निर्मित योजनाओं के आधार पर राष्ट्रीय योजना तैयार की जानी चाहिए। विभिन्न विकास इकाइयों व विकास क्षेत्रों में समन्वय रखने के लिये यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्तर से मार्ग निदेशक सिद्धांत भेजे जाएं। इस प्रकार की नियोजन व्यवस्था के अन्तर्गत ही क्षेत्रीय परिस्थितियों के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा सकेगी और साधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव हो सकेगा।

उपरोक्त पहलुओं को लेकर ग्रामीण विकास के समन्वित कार्यक्रम के प्रयास प्रारम्भ कर दिए गए है। केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित आयोग की सिफारिशों के आधार प्रयोग के लिये 52 गांवों में यह योजना शुरू की गई। अधिकांश गांव बिहार (39 गांव) में है। शेष उड़ीसा (6 गांव) उत्तर प्रदेश (5 गांव) व तमिलनाडू (4 गांव) के गांव है। इस योजना के अन्तर्गत सर्वाधिक महत्व सिंचाई व भूमि सुधारों को दिया गया है। साथ ही, पशुपालन, ग्रामीण व कुटीर उद्योग व अन्य सहायक उद्योग धन्धों का प्रावधान भी किया गया। कार्यक्रम की सफलता का मूल्यांकन करने व उसको सही ढंग से कार्यान्वित करने के लिए जिला स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन संगठन गठित किए गए हैं जिनका मुख्य कार्य योजना में सम्मिलित गांवों के क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करना है। इस प्रकार की व्यवस्था केन्द्रीय स्तर पर भी की गई जिसका मुख्य कार्य इस कार्यक्रम के बारे में समय समय पर दिशा निर्देश देना है। इस प्रकार के कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पहली बार योजना कार्यक्रमों में स्वंयसेवी संगठनों को प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर दिया गया है। इस सम्पूर्ण प्रयोगात्मक कार्यक्रम के मूल्यांकन का उत्तरदायित्व नेशनल इंस्टिट्यूट आफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद को सौंपा गया है।

यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि अभी यह कार्यक्रम अपनी प्रारंभिक अवस्था में है: अतः इसकी सफलता असफलता के बारे में कोई अटकल लगाना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना सही है कि इस प्रकार की परियोजना के बारे में काफी सतर्कता की आवश्यकता होगी। वैसे छठी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम का व्यापक प्रसार होने की बात कही गई है। यदि कृषि के क्षेत्र में हमारा यह प्रयोग सफल होता है तो इसमें सम्पूर्ण नियोजन नीति में मूलभूत परिवर्तन आएंगे। तब, सही अर्थों में, 'नीचे से नियोजन' को कार्यरूप दिया जा सकेगा।

न्यायोचित वितरण व्यवस्था

विकेन्द्रित समाज व्यवस्था में न्यायोचित वितरण को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। न्यायोचित वितरण व्यवस्था का अर्थ सिर्फ राशन की दुकानें खोल देना ही नहीं है। इसके लिये कई दिशाओं से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जहां एक ओर इस बात की व्यवस्था करनी होगी कि देश के हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की सभी वस्तुएं उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, वहां दूसरी ओर इस बात की व्यवस्था भी होनी चाहिए कि सामान्य आदमी के पास आवश्यकता की सभी वस्तुएं खरीदने के लिये पर्याप्त मात्रा में क्रय शक्ति उपलब्ध हो।

प्रथम बात के संबंध में अनेक आश्यकताओं में से महत्व इस बात का है कि वस्तुओं का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो। यहां इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि उत्पादन होगा किस प्रकार की वस्तुओं का। यदि देश का उत्पादन ढांचा विलासिता की वस्तुओं की ओर झुका हुआ है तो इस ढांचे में उत्पादन वृद्धि का लाभ सामान्य जन को प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में सबसे पहले उत्पादन ढांचे को बदलना होगा और आधारभूत आवश्यकता की वस्तुओं को सर्वाधिक महत्व देना होगा, जिनकी कि जन सामान्य को आवश्यकता है। इस नीति के अंतर्गत उत्पादन वृद्धि के प्रयास सर्वसाधारण के हित में काम कर सकेंगे।

श्रम गहन तकनीकों का महत्व

भारत जैसे श्रम प्रचुर देश में उत्पादन वृद्धि के लिये अधिकाधिक श्रम गहन विधियां अपनाई जानी चाहिएं। इससे एक ओर जहां बढ़ी हुई आय का अधिकाधिक न्यायसंगत वितरण हो सकेगा, वहां दूसरी ओर तकनीक व पूंजी के लिये विदेशी स्रोतों पर निर्भरता काफी हद तक कम हो सकेगी। इस कार्य में लघु व कुटीर उद्योगों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।

डा० महालनोबिस के एक अनुमान के अनुसार, जहां 500–600 रु० के निवेश से एक लघु उद्योग प्रारंभ करके एक परिवार को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है, वहां बड़े उद्योगों की स्थापना में करोड़ों रुपये के निवेश की आवश्यकता होती है और एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिये छोटे उद्योग की तुलना में 15–20 गुना अधिक निवेश करना होता है। अतः यदि भारत में लघु व कुटीर उद्योग के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास किये जाएं तो इससे सीमित पूंजी के माध्यम से व्यापक रोजगार संभाव्यता तथा आय के न्यायोचित वितरण के उद्देश्य को एक साथ प्राप्त किया जा सकता है।

भारत में गांवों की बहुलता को ध्यान में रखते हुए लघु व कुटीर उद्योगों के प्रसार के समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्षेत्र विशेष में उपलब्ध कृषि पदार्थ व अन्य कच्चे माल का अधिकाधिक उपयोग हो ताकि अनावश्यक परिवहन व्यय से बचा जा सके। उदाहरण स्वरूप जिस क्षेत्र में कपास होती हो उस क्षेत्र में वस्त्र उद्योग का विकास किया जा सकता है। जिस क्षेत्र में गन्ना प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो वहां खांडसारी उद्योग को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसी प्रकार तेल-बीज उत्पादक क्षेत्रों में वनस्पति उद्योग व कोयला व लोह अयस्क सघन क्षेत्रों में इस्पात उद्योग विकसित किया जा सकता है।

लघु व कुटीर उद्योगों के लिये आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 500 कर दी गई है और इन क्षेत्रों को आर्थिक तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध करने के लिये औद्योगिक बैंक में एक प्रकोष्ठ बनाया गया है।

बड़े उद्योगों की उपेक्षा नहीं

लघु व कुटीर उद्योगों पर अत्यधिक महत्व को इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि बड़े उद्योगों का विकास एकदम बंद कर दिया जाए। वास्तव में कुछ क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग, भारी मशीनरी, विद्युत उपकरण आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनका उत्पादन श्रम गहन विधियों से लघु व कुटीर उद्योगों में नहीं किया जा सकता। इसके लिये हमें पूंजी गहन व अत्यधिक विकसित (व जटिल) तकनीक पर आधारित बड़े उद्योग स्थापित करने होंगे। आवश्यकता होने पर, ऐसी तकनीक का आयात भी किया जाना चाहिए। लेकिन उन सभी क्षेत्रों में जहां लघु उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं वहां बड़े उद्योगों के हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करना होगा। भले ही लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुएं गुणात्मक स्तर पर कुछ हल्की किस्म की हों अथवा लागत सामान्य से कुछ अधिक पड़ती हों।

तकनीकी-उपयोग

विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था का एक और पहलू तकनीकी-उपयोग से संबंधित है। इसके अंतर्गत अधिकाधिक देशी तकनीक के उपयोग पर ध्यान देना होगा। साथ ही, विकास इकाइयों की विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिये विकास क्षेत्रों के स्तर पर प्रयोगशालाएं व यंत्र शालाएं स्थापित करनी होंगी, ताकि स्थानीय समस्याओं का निवारण स्थानीय स्तर पर किया जा सके। अधिकाधिक गोबर-खाद का प्रयोग, साधारण व जटिलता से मुक्त उपकरणों का उपयोग, श्रम गहन खेती को प्रोत्साहन आदि को विशेष महत्व देना होगा। इसी प्रकार औद्योगिक विकास के लिए अधिकाधिक आयायित पूंजी गहन तकनीक का लोभ त्यागना होगा। स्थानीय समस्याओं व परिस्थितियों के अनुसार तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देना होगा और इस कार्य के लिये पर्याप्त वित्तीय साधनों की व्यवस्था करनी होगी।

प्रशासनिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण

आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण से ही अर्थव्यवस्था में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं। आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण के साथ साथ प्रशासनिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण भी आवश्यक है। इसी संदर्भ में पंचायती राज व्यवस्था के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। परन्तु सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था की विभिन्न इकाइयों के गठन से ही समस्या का हल नहीं हो जाता। इस बात पर भी विचार करना होगा कि पंचायती राज व्यवस्था की विभिन्न इकाइयों को कितने अधिकार प्राप्त हैं और वे किस हद तक प्रशासनिक निर्णयों में हस्तक्षेप कर सकती हैं। हमारे देश के पंचायती राज व्यवस्था में अभी सुधार की काफी गुंजाइश है।

ऐसी स्थिति में जब तक इस सारी पंचायती राज व्यवस्था की संरचना और कार्यकलापों में आधारभूत परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक इन्हें सजीव नहीं बनाया जा सकता। इन्हें अधिकाधिक आर्थिक व प्रशासनिक अधिकार प्रदान किये जाने से पूर्व यह आवश्यक है कि इन्हें अपने उत्तरदायित्व का बोध करवाया जाए। विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था तभी सफलता पूर्वक काम कर सकती है जबकि उससे संबंधित हर प्रशासनिक इकाई चुस्त, सक्षम व सक्रिय हो।

प्रदीप कुमार मेहता C/o
श्री जीवन मेहता
प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय
सवाई माधोपुर-322001

सत्य और न्याय का समर्थन मनुष्य की सज्जनता और सभ्यता का एक अंग है।

'प्रेमचन्द'

उत्तर प्रदेश में पंचायतों के नए प्रयास

मदन मोहन गुप्त

जिला एटा के पंचायत सम्मेलन का दृष्य

विभिन्न प्राकृतिक स्थितियों एवम् रीति-रिवाजों के बीच बसे हुए इस प्रदेश ने राष्ट्रपिता गांधी जी की ग्राम्य राज्य की परिकल्पना को पूरा करने के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद सबसे पहले गांव पंचायतों की स्थापना करके सारे देश में अगुआई की। उत्तर प्रदेश में पंचायतों ने 15 अगस्त, 1949 से कार्य करना शुरू कर दिया। पंचायतों के साथ-साथ ग्रामवासियों को सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से तथा उन्हें कचहरी में होने वाले व्यय से बचाने के लिए प्रत्येक 10 ग्राम सभाओं पर एक न्याय पंचायत की स्थापना की गई। प्रदेश में इस समय 72,853 गांव सभाएं तथा 8791 न्याय पंचायतें कार्य कर रही हैं।

सन् 1962 में स्वर्गीय बलवन्त राय मेहता कमेटी की संस्तुति के आधार पर प्रदेश में जिला परिषद् तथा क्षेत्र समितियों की स्थापना करके पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा खड़ा किया गया जो प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में उत्तर प्रदेश का अग्रणीय कदम है।

पंचायतों ने अपने सीमित साधनों के होते हुए भी स्थानीय नेतृत्व का विकास करके ग्रामीण विकास के कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जो अपना उदाहरण नहीं रखते हैं। सामुदायिक कार्यों के लिए श्रमदान की कल्पना उत्तर प्रदेश की ही है। बिना किसी राजकीय सहायता के स्थानीय जनशक्ति को एकत्रित करके पंचायतों द्वारा हजारों मील लम्बी सड़कों को श्रमदान द्वारा बनवाना एक अनुकरणीय उदाहरण हैं। जगह जगह पंचायत घर तथा स्कूल व छोटी छोटी पुल पुलियों का निर्माण हुआ जिसने ग्रामीण क्षेत्र में विकास की एक लहर भी उत्पन्न कर दी।

पंचायतों के निजी सहयोग, श्रमदान तथा चन्दे द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्य हमारे प्रदेश की पंचायतों की सक्रियता एवम् जागरुकता के स्पष्ट प्रमाण हैं।

वर्ष 1977-78 में गांव पंचायतों द्वारा निजी आर्थिक, श्रमदान तथा चन्दे से किए गए प्रमुख-प्रमुख विकास तथा निर्माण कार्य :—

1.	स्थापित पंचायत उद्योग	874
2.	पंचायत उद्योगों द्वारा उत्पादन	2 करोड़ 5 लाख
3.	पंचायत उद्योगों द्वारा बिक्री	2 करोड़ 20 लाख
4.	कुशल तथा अकुशल कर्मचारियों को रोजगार	7 हजार 415
5.	एक लाख से अधिक उत्पादन वाले पंचायत उद्योग	44
6.	श्रमदान द्वारा गूल निर्माण	17 हजार 500 कि० मी०
7.	पंचायतों द्वारा ट्यूववेल निर्माण	27
8.	खड़ंजा निर्माण	2 हजार 966 कि० मी०
9.	पुलिया निर्माण (सं०)	3 हजार 801
10.	पानी पीने के कुएं (सं०)	3,426
11.	हैण्ड पम्प (सं०)	13 हजार 809
12.	पक्की नाली निर्माण	1 हजार 335 कि० मी०
13.	पी० आर० आई० ए० टाइप शौचालय सेट	8 हजार 847

14.	पंचायत घर निर्माण पक्के (सं०)	215
15.	मेला, बाजार स्थापना (सं०)	52
16.	पंचायत कर जो लगा	3 करोड़ 12 लाख
17.	पंचायत कर जो वसूल हुआ	2 करोड़ 98 लाख
18.	न्याय पंचायतों में दायर मुकदमे	23 हजार 189
19.	सुलह द्वारा निर्णीत	17 हजार 51
20.	पूर्ण कार्यवाही द्वारा निर्णीत	5 हजार 432

उल्लिखित आंकड़े इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि यदि गांव पंचायतों को शासन द्वारा अनुदान आदि उपलब्ध करा दिया जाए तो पंचायतें निश्चय ही ग्राम्य विकास के कार्यक्रमों में कीर्तिमान स्थापित कर सकती हैं।

ग्राम्य विकास की गति को तेज करने के लिए पंचायती राज विभाग ने अनेक विकास तथा निर्माण के कार्यक्रम प्रारम्भ किए हैं और इन कार्यक्रमों में पंचायतों ने आशातीत सफलता प्राप्त की है।

पंचायत उद्योगों की स्थापना

सारे देश में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसमें पंचायतों ने मिलकर ग्रामीण लघु उद्योग के क्षेत्र में अगुआई करके पंचायत उद्योग वर्ष 1961 से चलाना प्रारम्भ किये हैं। 31 मार्च, 1978 तक प्रदेश में 874 पंचायत उद्योग स्थापित किये गये हैं और जिनके माध्यम से लगभग 7 हजार 415 ग्रामीण कुशल तथा अकुशल कारीगरों को रोजगार मिला है। जनता सरकार के शासन में आने के पश्चात् पंचायत उद्योगों ने आशातीत प्रगति की है। जहां पिछले 15 वर्षों में कुल 6 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ है, वहां केवल वर्ष 1977-78 में इन पंचायत उद्योगों ने 2 करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन किया है। जनता सरकार की ग्रामोन्मुखी एवम् लघु उद्योग की नीति के अनुसार इन पंचायत उद्योगों का अधिक विस्तार करके उन्हें न्याय पंचायत स्तर तक पहुंचाने का प्रयास है। पंचायत उद्योगों के सफल संचालन में स्टाफ तथा धन का अभाव ही मुख्य रूप से बाधक है जिसके समाधान के लिये पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। पंचायत उद्योग ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं।

श्रमदान द्वारा गूल निर्माण

प्रदेश की सिंचाई क्षमता का पूरा उपभोग करने के लिये प्रदेश की पंचायतों द्वारा पिछले दो वर्षों से श्रमदान द्वारा गूलों का निर्माण कराया जा रहा है। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करके वर्ष 1977-78 में 13 हजार 500 कि० मी० से अधिक गूल निर्माण करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस कार्यक्रम को अगले वर्षों में भी चलाने का विचार है ताकि सृजित सिंचाई क्षमता का पूरा उपभोग हो सके।

श्रम के बदले खाद्यान्न योजना

भारत सरकार की उदार सहायता से प्राप्त श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिये सम्पर्क मार्गों की बृहद् योजनाएं आदि चलाई जा रही हैं। वर्ष 1978-79 में इस योजना के अन्तर्गत 3 हजार कि० मी० सड़क बनाने की योजना है। जल निष्कासन, बांध निर्माण तथा तालाबों को गहरा करने आदि के कार्यक्रमों को भी इस योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। अगले वर्षों में भी इस योजना के द्वारा और नये नये गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है ताकि छठी पंच वर्षीय योजना के घोषित लक्ष्य के अनुसार एक हजार तक आबादी वाले सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा सके। धन की उपलब्धि के अनुसार शासन उन्हें पक्का कराने तथा उन पर पुल पुलिया बनाने के लिये आवश्यक धन देने का भी विचार कर रहा है। वर्ष 1978-79 में इस योजना के अन्तर्गत पंचायतों को भारत सरकार से 30 हजार मीट्रिक टन गेहूं प्राप्त होना है। जून 1978 तक की स्थिति के अनुसार गांव पंचायतों को उल्लिखित कार्यक्रम के अन्तर्गत 13 हजार मीट्रिक टन गेहूं आवंटित किया जा चुका है और प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अब तक लगभग 1017 मीट्रिक टन गेहूं का उपभोग किया जा चुका है। अब तक उपभोग किये गए गेहूं के अन्तर्गत 2 लाख 33 हजार 910 मानव दिवस कार्य करके 3 हजार 119 मजदूरों को रोजगार मिला है तथा 11 लाख 69 हजार 550 रुपये की लागत का कार्य हुआ है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 101 कि० मी० सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष के लिये आबंटित गेहूं से अधिक गेहूं उपभोग किये जाने की सूचनाएं जिलों से प्राप्त हो रही हैं।

जन-जागरण के लिए पंच सम्मेलन

पंचायती राज सम्मेलनों की पूर्व परम्परा के अनुसार विभाग ने वर्ष 1977-78 में भी खण्डस्तरीय, जिलास्तरीय तथा मंडलस्तरीय सफल पंचायतीराज सम्मेलनों का आयोजन किया है। इन तीनों स्तरीय सम्मेलनों में तीन लाख से अधिक पदाधिकारियों एवम् कर्मचारियों ने भाग लेकर ग्राम्य विकास के कार्यक्रम के सत्वर विकास के लिये महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये हैं। वर्ष 1977-78 में पंचायतों के पंचम सामान्य निर्वाचन की सम्भावनाओं आदि के कारण ही राज्यस्तरीय सम्मेलन आयोजित नहीं हो सका था। वर्ष 1978-79 में एक बृहद् राज्यस्तरीय पंचायतीराज सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव है।

इस ग्राम प्रधान प्रदेश में पंचायतों को पंच-वर्षीय योजनाओं में समुचित स्थान नहीं मिल सका था। इस कमी

को पूरा करने के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में पंचायतों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वित कराने का प्रस्ताव किया गया है।

पंचायती राज विभाग की छठी पंच वर्षीय योजना में इस बात पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जो आज शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध हैं ताकि शहरों की ओर भागने की दौड़ रुक सके तथा जनता सरकार का नारा "गांव की ओर चलें" साकार हो सके। इसके लिये पंचायती राज विभाग ने, ग्राम सभाओं में खड़ंजा तथा नालियों का निर्माण, गांव में रोशनी की व्यवस्था, पी० आर० ए० आई० टाइप शौचालय सेट की स्थापना, पीने के पानी के कुओं का निर्माण, तथा निर्बल वर्ग के लोगो की आवास की व्यवस्था तथा अन्य कई ऐसे कार्यक्रम लिये हैं, जिससे आशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों का नक्शा ही बदल जायेगा। पंचायती राज विभाग ने इन योजनाओं को पूरा करने के लिये 26 करोड़ रुपये के छठी पंच वर्षीय योजना में प्राविधान के लिए शासन के पास प्रस्ताव भेजा है। यह उल्लेखनीय है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग ने 26 करोड़ रुपये की मांग की है जबकि पिछली पंचवर्षीय योजना केवल 76 लाख रुपये की थी। जनता सरकार की ग्रामोन्मुखी नीति का यह आंकड़ा स्वयम् स्पष्ट करता है।

न्याय पंचायतें

सारे देश में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहां सर्व-प्रथम गांव पंचायतों की बृहद् स्तर पर स्थापना के साथ-साथ गांवों के निर्धन तथा निर्बल समुदाय के लोगों के आपसी झगड़ों को तय करने के लिए स्थानीय तौर पर न्याय-पंचायत स्थापित करके शीघ्र तथा सस्ते न्याय की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में 8 हजार 791 न्याय पंचायतें कार्यरत हैं जो अपनी निष्पक्षता और न्याय प्रियता के लिये प्रसिद्ध हैं तथा इनके द्वारा दिये गये निर्णय उच्च न्यायालय तक मान्य घोषित किये गये हैं।

स्थानीय नियोजन

पंचायती राज विभाग को स्थानीय नियोजन के कार्यक्रम के कार्यान्वयन का भी गुरुत्तर दायित्व सौंपा गया है। शासन ने इस योजना के अन्तर्गत गांवों के विकास के लिए वर्ष 1978-79 में 25 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की है। इस योजना के अन्तर्गत स्थानिय तौर पर योजनाएं तैयार करके ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं।

पंचायतों द्वारा किये जा रहे अथवा प्रस्तावित कार्यक्रम जनता सरकार की ग्रामोन्मुखी तथा लघु-उद्योगिय नीति को स्पष्ट करते हैं। गांवों की गरीबी दूर करने, सामाजिक भिन्नता समाप्त करने तथा अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिला कर बेरोजगारी को समाप्त करने आदि का कार्य पंचायती राज विभाग के माध्यम से किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से पंचायतों के पदाधिकारियों एवम् कर्मचारियों को अपने कठिन कर्तव्य की परीक्षा देनी है। आशा है कि स्वतन्त्रता की 31वीं वर्षगांठ की बेला में हमारे विभाग के पदाधिकारी एवम् कर्मचारी अपने दायित्वों का पालन करते हुए प्रदेश में ग्राम्य विकास के क्षेत्र में कीर्तिमान् स्थापित करने में मुझे अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे। ●

मदन मोहन गुप्त
आई० ए० एस०,
निदेशक, पंचायत राज,
उत्तर प्रदेश

'लघु कथा'

बदसूरत-खूबसूरत

कु० मौना कौशिक

तारकपुर का राजा तारक महाबली था। उसका राज्य दूर-दूर तक फैला हुआ था। उसके कोई सन्तान न थी। पुत्र-प्राप्ति के लिये उसने काली देवी की उपासना आरम्भ की। उसने उपासना पूर्ण तो की परन्तु एक अशुद्ध घटना घट गयी। उसने पुत्र-प्राप्ति के लिये जिन मंत्रों का उच्चारण किया था वे शनि के प्रभाव से पुत्री-प्राप्ति के मंत्रों में बदल गये। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्री उत्पन्न हुई। वह बिल्कुल काले रंग की थी तथा उसका चेहरा भी बहुत बदसूरत था। राजा को जब इसकी खबर मिली तो वह देवी की इच्छा समझ कर शांत हो गया। परन्तु रानी उसकी शक्ल देखते ही बेहोश हो गयी और फिर होश में न आ सकी। उस लड़की का नाम आबनूसी रखा गया। उसका पालन-पोषण एक दयालु-हृदय दासी-रामदासी ने किया। राजकुमारी उसे ही अपनी मां समझती थी। राजकुमारी बचपन से ही बहुत दयालु थी। उसकी उदारता दूर-दूर तक फैल गयी। उसे बचपन से ही शस्त्र एवं शास्त्र की विद्या प्रदान की गयी तथा आयु के साथ साथ वह उनमें प्रवीण हो गयी। राजकुमारी के बड़ होने पर राजा को उसके विवाह की चिन्ता सताने लगी। जो राजा उससे विवाह करने आते वे केवल उसका राज्य ही चाहते थे। आखिर राजा ने एक हल सोचा। उसने दो शर्तें रखीं। पहली-राजकुमारी प्रत्येक व्यक्ति से दो सवाल पूछेगी। सन्तुष्ट होने पर उसके साथ राजकुमारी शस्त्र प्रतियोगिता में भाग लेगी। विजयी उमीद-वार ही राज्य का स्वामी होगा। इस स्वयंवर में कोई भी भाग ले सकता था। कई व्यक्तियों

[शेष पृष्ठ 21 पर]

स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए परिवार कल्याण

नसबंदी के बारे में जानिए

शल्यक्रिया विधि के रूप में नसबंदी का ज्ञान शल्य चिकित्सकों को बहुत समय पहले से है परन्तु आम लोगों में इसके प्रति जागरूकता अभी हाल ही में फैली है तथा उसका प्रादुर्भाव परिवार नियोजन कार्यक्रम के साथ हुआ है। नसबंदी का आपरेशन पुरुष तथा महिला दोनों पर किया जा सकता है तथा तकनीकी दृष्टि से इन्हें क्रमशः नसबंदी तथा नलबंदी के नाम से जाना जाता है। शुक्रवाहिका नस तथा नलिका उन अंग रचनाओं के नाम हैं जो क्रमशः पुरुषों तथा स्त्रियों में शुक्राणु तथा रजोवहन करते हैं तथा 'एक्टोमी' का तात्पर्य 'काटना' होता है। इस प्रकार नसबंदी या नलबंदी का तात्पर्य है शुक्रवाहिका नस या नलिका को काटना या निकालना।

मानव शरीर में शुक्राणुओं तथा डिम्बों को उत्पन्न करने का काम कुछ विशेष अंगों द्वारा किया जाता है तथा शारीरिक क्रियाओं में से एक है जबकि शुक्राणुओं या डिम्बों को उनके उपयोग के स्थान पर ले जाने का कार्य दूसरे अंग वर्ग का है जिन्हें शुक्रवाहिका या नलिका के नाम से जाना जाता है। यह शारीरिक या यांत्रिक क्रिया है। इस शारीरिक प्रक्रिया में रुकावट पदा करके शुक्राणुओं या डिम्बों का उत्पादन रोक दिया जाता है। खाने की गोली इस प्रकार की गर्भाधान निरोधक विधियों में से एक है जो शारीरिक क्रिया में रुकावट पैदा करके महिलाओं में डिम्बों का उत्पादन बन्द कर देती है जिससे गर्भाधान नहीं हो पाता है। पुरुषों या महिलाओं की नसबंदी यांत्रिक प्रक्रिया में रुकावट डाल कर गर्भाधान की संभावना को समाप्त कर देती है। इस प्रकार नसबंदी के पश्चात् भी शुक्राणुओं और डिम्बों का उत्पादन होता रहता है। परन्तु उन्हें अपने उपयुक्त स्थान पर नहीं पहुंचने दिया जाता है जिससे गर्भाधान रुक सके। नसबंदी के प्रभावों को समझने के लिए दो अन्य शब्दों "जननक्षमता" (फर्टीलिटी) तथा "यौन सामर्थ्य" "पोटेन्सी" का अर्थ पूरी तरह से समझना आवश्यक है। क्योंकि आम लोग दोनों शब्दों को एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द मानते हैं जोकि ठीक नहीं है। "जनन-क्षमता" का तात्पर्य बच्चे पैदा करने की क्षमता है जबकि यौन सामर्थ्य का तात्पर्य यौन की क्षमता से है। सामान्यतः एक व्यक्ति में ये दोनों क्षमताएं होती हैं यानी वह यौनसमर्थ तथा जननक्षम दोनों

होता है परन्तु यह [illegible] ही [illegible] है कि शरीर में कुछ खामियों के कारण या अन्य किसी रोग के कारण किसी व्यक्ति में इनमें से केवल एक ही क्षमता हो। ऐसा प्रायः देखने में आता है कि कुछ लोगों का यौन जीवन सामान्य होता है लेकिन उनके कोई सन्तान नहीं होती है क्योंकि वे यौन समर्थ तो होते हैं लेकिन जनन क्षम नहीं होते हैं। नसबंदी आपरेशन द्वारा भी इसी प्रकार की दशा उत्पन्न की जाती है जिससे एक व्यक्ति यौन-समर्थ रहता है सामान्य यौन जीवन व्यतीत करता है परन्तु प्रजनन क्षम नहीं होता है जिससे संतानोत्पत्ति नहीं कर सकता है।

नसबंदी के पश्चात् प्रभावों का अध्ययन सारे विश्व में किया गया है तथा इन सभी का निष्कर्ष यह निकला है कि जन्म दर नियंत्रण का यह सुरक्षित तथा प्रभावकारी तरीका है तथा इसका कोई अन्य हानिकर प्रभाव भी नहीं होता है। अतः सारे विश्व में इसे बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया है। ऐसा अनुमान है कि 1975 तक सारे विश्व में लगभग साढ़े सात करोड़ लोगों ने नसबंदी को स्वीकार किया जिसमें भारत के लोगों की संख्या केवल 1.70 करोड़ ही है। विकसित देशों में भी जहां गोलियां तथा अन्य गर्भ निरोधक विधियां बहुत अधिक प्रचलित हैं, नसबंदी को अपनाने के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा उत्तरोत्तर लोकप्रिय होती जा रही है।

चिकित्सकों की इस राय के बावजूद भी कि नसबंदी के कोई बुरे प्रभाव नहीं होते हैं, यह भी सच है कि आपरेशन के बाद कुछ लोग अन्य हानिकर प्रभावों की शिकायत करते हैं। ये शिकायतें मुख्यतः यौन-इच्छा में कमी आने या नपुंसकता या आम-दुर्बलता से संबंधित होती हैं। ऐसा भी देखने में आया है कि सभी प्रकार के रोगों को नसबन्दी आपरेशन से संबंधित कर दिया जाता है। इन सभी शिकायतों में सबसे आम शिकायत नपुंसकता के संबंध में होती है। कुछ हद तक इस प्रकार की शिकायतें नसबंदी के संबंध में लोगों को हतोत्साहित करती हैं। इस प्रकार की शिकायतें उस समय और भी विषम हो जाती हैं जब डाक्टर कहता है कि "सब कुछ ठीक है" जबकि शिकायत करने वाला दुर्बलता का अनुभव करता रहता है। इस प्रकार के अनेक मामलों की छानबीन करने से पता चला है कि ये शिकायतें मुख्यतः मनोवैज्ञानिक होती हैं तथा उन लोगों में पैदा होती हैं जो अस्थिर प्रकृति के होते हैं या बिना पूरी तरह समझे बूझे आपरेशन करवा लेते हैं।

यह बात निः संदेह रूप से कही जा सकती है कि नसबन्दी आपरेशन हानि रहित है तथा इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है बशर्ते कि आपरेशन करवाने वाला :—

1. आपरेशन कराने से पहले आपरेशन के बारे में पूरी तरह समझ लेता है तथा डाक्टर से बातचीत करके तथा उसकी सलाह लेकर अपनी सभी शंकाएं दूर कर लेता है;
2. अपने परिवार के आकार से पूरी तरह सन्तुष्ट हो गया है तथा पूरी तरह आश्वस्त हो कि उसे और अधिक बच्चे नहीं चाहिए।
3. उसने इस विषय पर अपनी पत्नी से बातचीत कर ली हो तथा स्वेच्छा से उसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली हो और
4. अपनी इच्छा से आपरेशन कराने का निर्णय लेता है न कि किसी बाहरी कारणों या दबावों के कारण। ●

बदसूरत-खूबसूरत **(पृष्ठ 19 का शेषांश)**

ने उसमें भाग लिया परन्तु कोई सफल नहीं हो पाया जिससे राजा बहुत हताश हुए।

तारकपुर के पास प्रभात नगर था। वहां एक बहेलिया था जिसका नाम निशीथ था। उसने जब बदसूरत राजकुमारी के स्वयंवर के बारे में सुना तो वह अपना भाग्य आजमाने के लिये पहुंचा। राजकुमारी ने उससे दो सवाल पूछे। दुनिया में सबसे अधिक बदसूरत कौन है। दुनिया में सबसे अधिक खूबसूरत कौन है ? निशीथ ने कुछ क्षण सोचा तथा कहा कि दुनिया में सबसे बदसूरत प्राणी आप हैं क्योंकि बाहरी सुन्दरता आपके पास नहीं है। साथ ही दुनिया में सबसे अधिक खूबसूरत भी आप हैं क्योंकि आप का दिल बाहरी दिखावे से दूर है। यह सुन कर राजकुमारी तथा राजा बहुत प्रसन्न हुए।

इसके बाद शस्त्र प्रतियोगिता आरम्भ हुई। राजकुमारी के पास एक ऐसा धनुष था जिस पर दस से अधिक बाण एक साथ नहीं चलाए जा सकते थे। राजकुमारी ने शर्त रखी थी कि जो इस पर ग्यारह बाण चला देगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। निशीथ को यह सब मालूम था। अतः उसने एक ऐसी लकड़ी का धनुष बनाया जो कि धागा ढीला करते ही बड़ी हो जाती थी। वह उस धनुष को छिपाकर अपने साथ ले गया। प्रतियोगिता-स्थल पर राजकुमारी ने दस बाण छोड़े। संयोग से एक बाण उड़ती हुई चिड़िया को लग गया तथा वह जमीन पर घायल होकर गिर पड़ी। राजकुमारी ने तत्काल उसे उठा लिया तथा उसका उपचार करने लगी। उसी बीच निशीथ ने धनुष बदल लिये। राजकुमारी ने वह चिड़िया सेवकों को दे दी। इसके बाद में निशीथ ने उस धनुष का धागा ढीला कर उस पर बारह बाण रख कर छोड़ दिये। इस पर राजकुमारी ने उसके गले में वरमाला डाल दी।

राजा अपना राजपाट निशीथ तथा राजकुमारी को सौंपकर वन चले गए। निशीथ ने राजकुमारी का नाम बदलकर निशि रख दिया। कुछ महीनों बाद राजवैद्य की सहायता से राजकुमारी की बदसूरती बिल्कुल समाप्त हो गई। इसके बाद निशीथ एवं निशि ने सुख पूर्वक वर्षों तक तारकपुर पर शासन किया। ●

—कुमारी मौना कौशिक,
आई० आर० पटेलमार्ग,
गाजियाबाद-201001.

छठी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े वर्गों के विकास की व्यवस्था

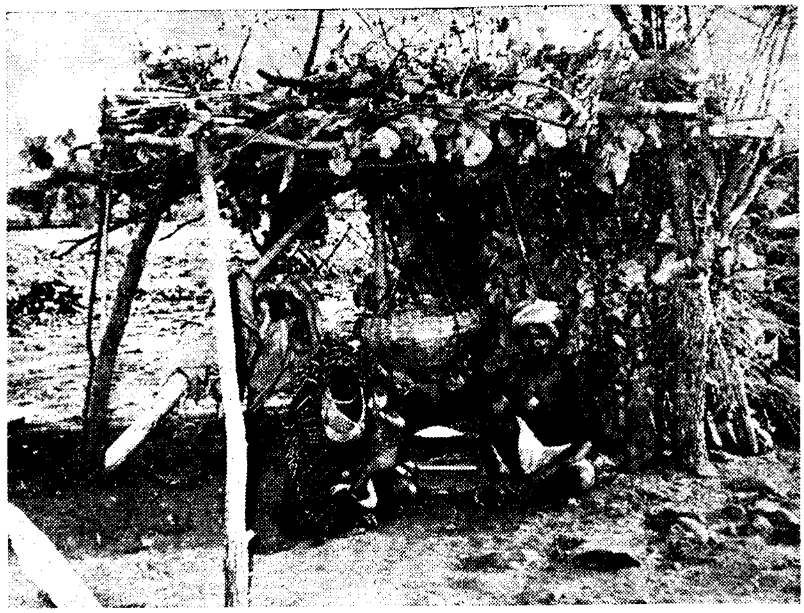

देखिए, यही है एक सेहरिया जनजाति परिवार का निवास स्थान।

जे. सी. शर्मा एवं
एस० एल० मेनारिया

प्रत्येक कार्य की सिद्धि उसकी योजना पर निर्भर करती है और इसी योजना का मूलभूत बिन्दु उसकी अर्थ-व्यवस्था, जो उसकी सफलता की निश्चितता प्रदान करती है। इसके साथ ही यह कहना भी उचित प्रतीत होगा कि धन का सदुपयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि योजना के लिए धन जुटाना। यही बात पिछड़े वर्गों के विकास के परिप्रेक्ष्य में देखी जाए तो प्रत्येक योजना में इसे लागू करते समय इसके आर्थिक पक्ष का विस्तृत विवेचन करना अति-आवश्यक हो जाता है।

हमारे देश की जनसंख्या के लगभग एक चौथाई लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हैं जो मुख्य रूप से गरीबी के स्तर से नीचे रहते हैं। इन वर्गों के जीवनस्तर और बाकी लोगों के जीवनस्तर के अंतर को दूर करने की व्यापकता बहुत अधिक है। वे अपने परम्परागत व्यवसायों में कार्य करते चले आ रहे हैं तथा विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित किए गए रोजगार के अवसरों के बावजूद शिक्षा के स्तरों में कमी होने के कारण, वे इन रोजगारों को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। अधिकांश जनजातीय लोग ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं जो सामान्यतः सरलता से पहुंच के बाहर होते हैं और अनुसूचित जातियों के लोगों की समस्या भी जटिल हैं क्योंकि यह वर्ग भी अस्पृश्यता की कुप्रथा से पीड़ित है। इसके लिए सांविधानिक निर्देशक तत्वों और उन्हीं के अनुरूप केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अनेक कानूनी और प्रशासनिक उपायों की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त पिछली योजनाओं में इन वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कई विशेष कार्यक्रम बनाए गए थे।

पिछली क्रमिक योजनाओं में इस क्षेत्र पर 685 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे, इनमें से 48% से भी अधिक शिक्षा एवं उससे संबंधित कार्यक्रमों पर, 28% आर्थिक कार्यक्रमों पर तथा शेष राशि स्वास्थ्य, आवास, पेयजल की पूर्ति और स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देने पर व्यय की गई थी।

चतुर्थ योजना के समय समीक्षात्मक रूप से यह ज्ञात हुआ कि पिछड़े वर्ग क्षेत्र के लिए निर्धारित किए जाने वाले योजना परिव्ययों के इस स्वरूप को भली प्रकार से नहीं समझा गया कि यह आवश्यक रूप में अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों के पूरक के रूप में हैं। वास्तव में ये कार्यक्रम दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य के बिना तदर्थ रूप में बनाए गए थे और इन वर्गों के लिए सामान्य विकासात्मक धन राशियों के प्रतिस्थापन के रूप में हो गये थे। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामान्य क्षेत्रों में से पिछड़े वर्गों के लोगों को भी लाभ मिले, पांचवीं योजना में एक नई नीति बनायी गयी। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में इन वर्गों के लोगों के लिए उनकी संख्या के अनुपात के आधार पर निर्धारणीय कार्यक्रमों में से निधियों की मात्रा निश्चित करने का राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि पहले की तरह पिछड़ा वर्ग क्षेत्र अन्य कार्यक्रमों के पूरक के रूप में ही समझा जाता रहेगा। इस नीति के अनुरूप इन वर्गों के लिए अलग से उपयोजनाएं कार्यान्वित की गईं जिनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए धनराशि की व्यवस्था राज्य योजनाओं में से की गई तथा केन्द्र द्वारा पूरक सहायता प्रदान की गई। अब तक दो तिहाई जनजातीय जनसंख्या को इन उपयोजनाओं के अंतर्गत लाया जा चुका है।

षष्ठम् पंचवर्षीय योजना (1978-83) के प्रमुख उद्देश्य नये रोजगार के अवसरों का सृजन करना, गरीबी को कम करना और मूल आवश्यकताओं और सेवाओं की व्यवस्था करना है। अतः हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लोगों को इसके लिए बनाये गये कार्यक्रमों का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।

इस दौरान पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए योजनाओं में 545 करोड़ रुपये के परिव्यय की

व्यवस्था की गई है जिनमें से 312 करोड़ रुपये शैक्षणिक कार्यक्रम पर, 65 करोड़ रुपये आर्थिक कार्यक्रम पर, 129 करोड़ रुपये स्वास्थ्य, आवास, स्वैच्छिक संगठनों आदि की सहायता पर, 2 करोड़ रुपये अनुसंधान और प्रशिक्षण पर, 2 करोड़ रुपये निदेशन एवं प्रशासन पर तथा 35 करोड़ रुपये अनसूचित जातियों के विशेष कार्यक्रमों पर व्यय किए जाएंगे।

इनके अलावा, जन जातीय उपयोजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 350 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गई है।

भावी योजना में नए समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत खण्डों के चयन में उन खण्डों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें जनसंख्या के 20% से भी अधिक अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं और इन खण्डों को योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। इन खण्डों में रहने वाले परिवारों को कृषि निवेश के लिए ऋण एवं सहायता, कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगों के सृजन द्वारा रोजगार के अवसरों में अभिवृद्धि, उचित आवास व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा के पर्याप्त लाभ जुटाए जाएंगे।

अस्पृश्यता को दूर करने के लिए, निगरानी रखने के लिए कुछ राज्यों में अनुसूचित जातियों से दुर्व्यवहारों से संबंधित शिकायतों की उपयुक्त और तेजी के साथ जांच हेतु विशेष कक्ष बनाए गए हैं। अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे।

जनजातीय क्षेत्र विकास के सम्बन्ध में उपयोजना की नीति जारी रहेगी। जनजातीय क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों के विकास के स्तरों में अंतर को कम करने, तेजी के साथ जनजातीय समाज के जीवनस्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाने, सुरक्षात्मक उपायों के लाभों को प्राप्त करने तथा पूर्ण-रोजगार की प्राप्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर बल दिया जाएगा।

शैक्षणिक स्तरों में सुधार एवं साक्षरता में अभिवृद्धि हेतु प्रौढ़ साक्षरता में विस्तार का प्रयास किया जाएगा। छात्राओं की शिक्षा जो बीच में ही छोड़ दी जाती है उसे रोकने पर बल दिया जाएगा। अनुमान है कि 1988 तक 6.8 लाख अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थी हायर सैकण्डरी के बाद छात्रवृत्तियां पाने लगेंगे जिनकी संख्या वर्तमान में 4.22 लाख ही है। छात्र वृत्ति की वर्तमान दर छात्रों के लिए 1000/- रुपये तथा छात्राओं के लिए 1200/- रुपये वार्षिक है। केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रावास सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा तथा प्रत्येक जिला मुख्यालय में छात्राओं हेतु एक छात्रावास पृथक से होगा।

इस वर्ष में शिक्षित लोगों के लिए रोजगार की संभावनाओं में सुधार करने तथा आरक्षित रिक्तियों की पूर्ति करने हेतु, अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं के लिए 9 अनुशिक्षण केन्द्र तथा राज्य सेवाओं की परीक्षाओं के लिए 13 केन्द्र हैं जहां इन परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस वर्ग के अधिकांश लोग खेतिहर हैं। 51.75% अनुसूचित जाति के और 33.4% अनुसूचित जनजाति के लोग खेतिहर मजदूर हैं जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है या थोड़ी भूमि ही है। अतः इन लोगों के आर्थिक स्तरों का सुधार मुख्य रूप से कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के सामान्य विकास से उनको मिलने वाले लाभों पर निर्भर करता है। इसके लिए अधिक पिछड़े वर्गों का पता लगाया जाएगा और उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इन वर्गों के परम्परागत व्यवसायों झाड़ू द्वारा सफाई, खाल उतारना और चमड़े के काम को आधुनिक बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिससे कि इन अस्वच्छ व्यवसायों की बुराई को दूर किया जा सके और इन कामों में लगे व्यक्तियों की रहने की स्थिति और काम करने की दशाओं में सुधार किया जा सके।

भावी योजना के अंतर्गत इन वर्गों के विकास हेतु होने वाले व्यय पर भी नए परिप्रेक्ष्य में ही परिवर्तन का प्रयास किया गया है। अब इस पर व्यावहारिकता में कहां तक क्रियान्वयन होता है तथा कहां तक हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ एवं सफल होते हैं। इसका मूल्यांकन तो हम आगामी वर्षों में ही कर पाएंगे, फिर भी इसमें हमें कुछ आशा की झलक अवश्य दृष्टिगोचर होती है।●

विजयसिंह पथिक श्रमजीवी महाविद्यालय
अजमेर (राज०)

"समीक्षा"

महाराष्ट्र की लोक कथाएं : लेखिका : कमला दीक्षित, प्रकाशक : राजपाल एण्ड संज, कश्मीरी गेट, दिल्ली, पृष्ठ 40, मूल्य : 5.00 रु० ।

महाराष्ट्र की लोक कथाएं, शीर्षक पुस्तक में सात लोक कथाएं हैं। पहली कथा 'पिता द्रोह का फल' से यह निष्कर्ष निकलता है कि पिता की बेइज्जती और अनादर करने से पुत्री को किस तरह एक मंत्री की पत्नी और धनिक नारी से हट कर गरीबी के दिन देखने पड़े जबकि उसकी दूसरी बहन अपने पिता का आदर-सत्कार करते हुए पटरानी बनी रही। दूसरी लोक कथा जिसमें बुद्धि के बल से किस तरह पण्डित ने राक्षसों को पराजित किया। बुद्धि के चमत्कार पर प्रकाश डालती है इसी तरह पुस्तक की सारी लोक कथाएं उपदेश और सुकुमार बालकों के लिए पाठनीय और उनके चरित्र का उज्ज्वल बनाने वाली है। मच्छीलाल की कथा जहां रोचक है वहां उपदेश प्रद भी है। इसी तरह 'नल-नील' की कहानी भी बड़ी रोचक है।

पुस्तक का आवरण पृष्ठ बड़ा सुन्दर है और सचित्र होने के कारण पुस्तक की साज-सज्जा बड़ी सुन्दर बन पड़ी है। छपाई की दृष्टि से भी पुस्तक का कलेवर सुन्दर बन पड़ा है। प्रूफ की अशुद्धियां भी नगण्य हैं।

।—मोहन लाल कक्कड़
बी-1/155 न्यू मोती नगर,
मार्ग नं०-3,
नई दिल्ली-110015

प्रौढ़ शिक्षा : समस्या और समाधान

मुरारी श्याम शर्मा

गांवों में प्रौढ़-शिक्षा की जितनी आवश्यकता आज है उतनी संभवतः कभी भी नहीं थी। इसका एक मुख्य कारण तो यह है कि सरकार ग्रामीण समाज कल्याण, बिजली-पानी, ऋण, खाद, बीज, सीमेंट, भूमि आदि से संबंधित सुविधाएं देने की जो योजनाएं चला रही है उन सबके लिए किसान भाईयों को कोई न कोई फार्म भरना पड़ता है और जगह जगह कागजों पर दस्तखत करने पड़ते हैं। इसलिए एक तो इन सब लाभकारी योजनाओं की पूरी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि ग्रामीण भाइयों को पढ़ना लिखना आना चाहिए ताकि इन सब योजनाओं के बारे में अखबार में या अन्य दूसरे पैम्फलैट और सरकारी विज्ञापनों के जरिए दी जाने वाली जानकारी भली-भांति समझ लें। दूसरे, इसलिए कि किसी भी स्कीम का अधिकतम लाभ उठाने के लिए किसी भी प्रकार की बेईमानी और धोके से बचना जरूरी है क्योंकि कई बार देखा गया है कि ग्राम पंचायतों, विकास खण्डों, तहसील व जिला अधिकारियों के दफ्तरों के कुछ चालाक और बेईमान कर्मचारी गरीब, अनपढ़ और भोले-भाले किसानों को धोका देकर गलत फार्मों या गलत बयानों पर दस्तखत करा लेते हैं, या किसी लाभकारी स्कीम की पूरी जानकारी न देकर उनके नाम पर, खुद उसका फायदा उठा लेते हैं।

सरकार आजकल लगभग हर काम के लिए लोगों को कर्जा देती है। सूखे, बाढ़ या बीमारी फैल जाने की दशा में रुपये पैसे कपड़े, बीज, मवेशियों आदि के लिए हर प्रकार की सहायता की अनेक स्कीमें चलाई जाती हैं। ऐसे मौकों पर प्रायः यह देखा गया है कि अनपढ़ होने के कारण हमारे किसान भाइयों तक इनका पूरा लाभ नहीं पहुंच पाता क्योंकि गांवों के कुछ खुदगर्ज "बनावटी नेता" और कुछ चालाक कर्मचारी मिलकर ग्रामीणों के नाम पर काफी से ज्यादा रुपया या सामान डकार जाते हैं। गांवों के लोगों से बातें करने पर कितनी बार ही यह बात सामने आई है कि उनसे कई फार्मों पर दस्तखत करवाते समय तो यह बताया गया था कि इतना पैसा मिलेगा, इतना सामान मिलेगा और इतना लाभ होगा किन्तु बाद में थोड़ा सा धन या सामान ही वस्तुतः दिया जाता है और पूछने पर कई प्रकार के बहाने और कारण बता दिए जाते हैं। चूंकि फार्मों पर दस्तखत हो चुके होते हैं इसलिए लोग मजबूर हो जाते हैं कि जो कुछ कहा गया है वही सही है और जो कुछ किया गया है वही वाजिब है।

समस्या की विशालता

वस्तुतः विशाल भारत देश में साक्षरता की समस्या भी इतनी ही विशाल है। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में 40 करोड़ लोग अनपढ़ हैं, और 7 से 15 वर्ष की आयु के ग्रुपों में, 5 बच्चों में से केवल एक बच्चा ही स्कूल की पढ़ाई पूरी कर पाता है, वे सफेद-पोश नौकरियों के चक्कर में बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं तथा उनकी पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाती है।

ऊपर बताए गए कारणों से ही पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा ग्रामीण विकास की सरकारी योजनाओं और सहायता कार्यों का भी ग्रामीण भाई पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में "व्यावहारिक या कार्यकारी साक्षरता" (फंक्शनल लिटरेसी) अभियान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, हमारे गांवों में फैली कुरीतियों, हानिकारक रूढ़ियों और अन्धविश्वासों को समाप्त करने के लिए "साक्षरता अभियान" जरूरी है क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी समस्या के फायदे या नुकसान को जल्दी समझ सकता है। अतः गांवों में परिवार नियोजन, दहेज विरोध, स्त्री शिक्षा, नशाबन्दी, आदि के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए साक्षरता अभियान की अत्यन्त आश्वकता है।

सफलताएं

इसी दृष्टि से देश के विभिन्न भागों में प्रौढ़-शिक्षा आन्दोलन बड़ा जोर पकड़ता जा रहा है। गत वर्ष जयपुर शहर के मजदूर लोगों के मोहल्ले तथा अन्य आसपास के गावों में समाज सेविकाओं द्वारा चलाए गए साक्षरता अभियान ने मजदूर, बच्चों, बूढ़ों और स्त्रियों को "काम चलाउ साक्षरता" का ज्ञान कराने के लिए 400 केन्द्र खोलकर जयपुर क्षेत्र के हर अनपढ़ को साक्षर बना देने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया था और अब तक 30,000 लोगों को अक्षर ज्ञान करा दिया गया है।

इसी प्रकार दिल्ली के कालेजों के 250 छात्रों ने दिल्ली के आसपास के गांवों में केवल तीन महीनों के भीतर लगभग 4,000 ग्रामीण भाइयों और मजदूर वर्ग के लोगों को पहाड़े और गिनती लिखना, बसों और सड़कों पर लगे बोर्डों को पढ़ना, अपने राशन कार्ड दूध तथा नौकरी के फार्म भरना तथा छोटे मौटे कार्यों और नौकरियों के लिए प्रार्थना-पत्र लिखना तक सिखा दिया है।

महाराष्ट्र राज्य में "ग्राम शिक्षण मोहिम" नाम से महाराष्ट्र के गांवों और नगरों के पिछड़े इलाकों में साक्षरता अभियान चल रहा है और इस 'मोहिम' को भी प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है।

महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग की "सामाजिक शिक्षा शाखा" ने "कार्यकारी साक्षरता" को कम से कम समय में सफल बनाने के लिए राज्य के 15 से 25 वर्ष की आयु वाले लोगों को शिक्षित करने का बड़ा ही सरल और सफल तरीका निकाला है। उन्होंने 'अ' से अनार और 'आ' से आम के रूप में शिक्षा देने की पारंपरिक रीति को छोड़कर, एक बहुत ही सरल और प्रभावपूर्ण रीति निकाली है। इस रीति के अनुसार विभाग ने रोजमर्रा के कार्यों और बोलचाल में बार-बार आने वाले लगभग 350–400 शब्दों की एक सूची बनाई है और इन शब्दों और वाक्यों को फोटो और चित्रों से स्पष्ट करके समझाया गया है। आपको जान कर आश्चर्य होगा कि पढ़ाई-लिखाई की यह रीति इतनी सफल हुई है कि ग्राम वासियों ने कुल 60 घंटों की पढ़ाई के बाद ही इन शब्दों और वाक्यों को लिखना और पढ़ना सीख लिया है। महाराष्ट्र के 13 जिलों में, 40,000 लोगों को साक्षरता की इस रीति से शिक्षा दी जा रही है। केन्द्र

सरकार ने प्रत्येक राज्य के एक जिले में ऐसी ही स्कीम चालू कर दी है और प्रत्येक राज्य से भी अपनी ओर से एक और जिले में ऐसी ही स्कीम प्रारंभ करने की आशा की गई है। वस्तुतः कई राज्यों ने एक से अधिक जिलों में ऐसी ही स्कीम प्रारम्भ कर दी है।

यह भी समाचार मिले हैं कि उड़ीसा राज्य में साक्षरता अभियान के कार्यकर्ताओं ने वहां के आदिवासियों को काम चलाउ लिखना और पढ़ना सिखाया है जिस पर केवल 180 रु० प्रति व्यक्ति खर्च हुआ है।

समस्या का समाधान

सामाजिक उत्थान की ऐसी योजनाओं में सरकार, आर्थिक कठिनाइयों के कारण बहुत ज्यादा सहायता नहीं कर सकती। हाल ही में सरकार ने प्रौढ़-शिक्षा कार्यक्रम को तेज करने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा की है। छठी योजना के दौरान 10 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य है जबकि योजना के प्रथम वर्ष में 45 लाख लोगों को साक्षरता का ज्ञान करा दिया जाएगा। देश भर में 30 हजार प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 200 से अधिक परियोजनाओं के अन्तर्गत खोले जा रहे हैं। इनमें अधिकतर परियोजनाएं तो चालू भी की जा चुकी हैं। इस पूरे कार्यक्रम पर एक करोड़ रुपया व्यय किए जाने का अनुमान है, जिसका 50 प्रतिशत राज्य सरकारें वहन करेंगी।

समाज सेवी संस्थाओं, राज्य सरकारों, नेहरू युवक केन्द्र, शिक्षा संस्थाओं तथा औद्योगिक संस्थानों को व्यापक सहायता और सहयोग से इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ में प्रत्येक जिले के एक ब्लाक में एक परियोजना चलाई जाएगी, इसके बाद अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजनों और आदिवासियों को साक्षर बनाने पर विशेष बल दिया जाएगा।

प्रौढ़ शिक्षा अभियान और साक्षरता आन्दोलन जैसे कार्यक्रमों की सफलता मुख्यतः स्थानीय कार्यकर्ताओं और गांव के पढ़े-लिखे लोगों पर ही अधिक निर्भर करती है। इसलिए प्रत्येक शिक्षित युवक का कर्तव्य है कि वह अपने पड़ोस में कम से कम एक अनपढ़ को पढ़ाएं। इस "एक पढ़ाए, दूसरे को" (ईच वन, टीच वन) कार्यक्रम को हाई स्कूलों और कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी और रिटायर्ड सरकारी सेवक भली प्रकार से सफल बना सकते हैं। ●

विधि मंत्रालय,
विधि साहित्य प्रकाशन,
भगवान दास रोड,
नई दिल्ली

पहला सुख निरोगी काया

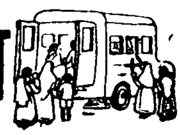

मौसमी रोगों का होम्योपैथिक उपचार

बी० पी० मिश्र

सर्दी के मौसम में अधिकतर बात रोग का प्रकोप बढ़ जाया करता है। इस तकलीफ का संक्षिप्त इलाज इस प्रकार है :—

एक्टिया स्पाइकोटा-6 :—छोटे-छोटे जोड़ों के दर्द, जैसे पांव और हाथ की उंगलियों में। अंगुलियों को मोड़ने से दर्द अधिक होता है। अंगुलियों में सूजन आ जाती है।

ब्रायोनिया-1000:—घुटने, कन्धे तथा बड़े जोड़ों का दर्द, चलने फिरने, हिलने-डुलने से दर्द का बढ़ना, सेंक से आराम, आराम करते रहने से दर्द कम। एक खुराक हफ्ते में दो बार लें।

रस-टाक्स,200,1000:—किसी भी जोड़ में, कमर में दर्द, ठंडी हवा के लग जाने से दर्द का बढ़ जाना, चलने के आरम्भ में दर्द का बढ़ना परन्तु चलते-चलते दर्द का कम हो जाना। 200 की एक खुराक रोज, हजार की हफ्ते में एक खुराक लें।

सिपिलिनम 30:—जोड़ों का दर्द, रात को अधिक हो जाये, दिन में कम रहे। 4 घंटे के अन्तर से इस दवा को लेना चाहिये।

सिमिसिफ्यूगा-200:—मांस पेशियों में दर्द होने पर रोज एक खुराक लेना चाहिये।

कालचिकम-6:—दर्द कभी किसी जोड़ में, फिर कभी दूसरे जोड़ में होता है। रात को दर्द अधिक, अंगूठे में सूजन।

कैलमिया-200:—दाहिने कन्धे में दर्द, दर्द दाहिने हाथ में आता है। रात में हाथ सो जाता है। गर्दन में अकड़ाव रहता है। इस दवा की एक मात्रा दिन में एक बार। ●

—डी०-770, मन्दिर मार्ग,
नई दिल्ली-110001

समग्र ग्रामीण विकासः

नयी व्यूह-रचना की

कुछ प्रमुख विशेषताएं

—एस० एस० चट्टोपाध्याय

ग्राम विकास के लिए छात्राएं श्रमदान करती हुईं

समग्र ग्रामीण विकास के कार्यक्रम को वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विकास के लिए नई व्यूहरचना के रूप में स्वीकार किया गया है। यह व्यूह-रचना विकास की एक लम्बी प्रक्रिया का चरम-बिन्दु है। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था, जिसमें भारत की लगभग 80 प्रतिशत आबादी आ जाती है और लगभग 50 प्रतिशत राष्ट्रीय आय का स्रोत है, के पुनरुत्थान के लिए पहला गंभीर प्रयास किया गया था। इस कार्यक्रम की विभिन्न विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की दिशा में एक विशेष भूमिका रही। सामुदायिक विकास खण्डों में इसने एक नई प्रशासनिक पंक्ति का निर्माण किया जो अलग-अलग विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ करने में एक अत्यन्त लाभदायक ढांचे के रूप में सिद्ध हुई है। यद्यपि इरादे अत्यन्त नेक थे तो भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपेक्षित सामुदायिक प्रयत्नों को सबल बनाने में तथा उनको सरकार के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्वावलम्बी बनाने के प्रयासों से सम्पृक्त करने में असफल रहा है। तो भी विस्तार एजेंसियों का जाल बिछ जाने के कारण सामुदायिक विकास खण्ड सफल उत्पादन की सुधरी हुई तकनीक के ज्ञान को फैलाने के बहुत ही अधिक लाभदायक रहे जबकि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था भीषण खाद्य संकट के दौर से गुजर रही थी और आई० ए० डी० पी०, आई० ए० ए० पी० तथा एस० वाई० वी० पी० जैसे गहन कृषि विकास कार्यक्रमों का सहारा लेना पड़ रहा था। यद्यपि इन कार्यक्रमों ने हरित क्रान्ति की शुरुआत करने में मदद की तो भी अपने स्वभाव से सिर्फ सिंचाई की तथा कर्जे की आश्वस्ति वाले क्षेत्रों तक ही सीमित थे। फलस्वरूप इनसे न केवल राज्यों के बीच अपितु एक राज्य के जिलों के बीच असमानता आ गई। इसने ग्रामीण धनवान और ग्रामीण निर्धन की आमदनियों में भी असमानता को प्रवृत्त किया। इस असन्तुलन को सही करने के लिए सातवें दशक के प्रारंभ में लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम जैसे विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किए गए। पहाड़ी क्षेत्रों तथा आदिम जातियों की विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने हेतु विशेष कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। क्षेत्र आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से बड़ी और मध्य दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं

की सिंचाई से होने वाले लाभों को समेकित करने के लिएं नियन्त्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रमों की खोज की गई ।

इन विशेष प्रकार के कार्यक्रमों से अनुभव प्राप्त करके, ग्रामीण विकास के समन्वित कार्यक्रम के माध्यम से गांव की निर्धनता और ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या पर कड़ा प्रहार करने का निश्चय किया गया। यह व्यूह-रचना विकास खण्ड स्तर पर छोटे किसानों, सीमान्त किसानों, पट्टेदारों, दुकानदारों और ग्रामीण कारीगरों के प्रति लक्ष्यों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए लघु स्तरीय नियोजन पर आधारित है । इस नीति के अनुसरण में 3000 में से 2000 विकास खण्डों को, जो एस०एफ० डी० ए० , डी० पी० ए० पी० और सी० ए० डी० के विशेष कार्यक्रमों से सम्बद्ध है, गहन विकास के लिए चुना गया । इन विकास खण्डों में से प्रत्येक विकास खण्ड को 5 लाख रुपए वार्षिक परिव्यय प्राप्त होना है जबकि एस० एफ० डी० ए० और सी० ए० डी० विकास खण्डों को 4 लाख रुपए तो केन्द्र सरकार से तथा एक लाख रुपए राज्य सरकार के अंशदान के रूप में मिलेंगे । इस 5 लाख रुपयों की राशि में से जिन योजनाओं को वित्तीय सहायता के लिए उपयुक्त माना जाएगा, उनकी सूची तैयार हो चुकी है । इन सभी योजनाओं के उन कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया है जो छोटे किसानों, सीमान्त किसानों और खेतीहर मजदूरों को रोजगार के लिए लाभोन्मुख कार्यक्रमों पर आधारित हों । इस 5 लाख रुपए के विवेकपूर्ण उपयोग से प्रति वर्ष प्रत्येक विकास खण्ड में लगभग 300 परिवारों को गरीबी की रखा से ऊपर उठाने में सहायता करने की अपेक्षा की जाती है।

इन 2000 विकास खण्डों के अलावा, दूसरे 300 ऐसे विकास खण्ड चुने जाएंगे जो इन तीनों विशेष कार्यक्रमों से सम्बद्ध नहीं हैं । इन विकास खण्डों का राज्यवार आबंटन इस प्रकार से किया जा रहा है जिससे कि इनमें प्राथमिकता के आधार पर अत्यन्त पिछड़े जिले और वे जिले आ जाएं जिनमें अनुसूचित जातियों की आबादी अधिक है । वे जिले जिनमें कभी कोई विशेष कार्यक्रम नहीं चलाया गया उनको गहन विकास के लिए कम से कम एक विकास खण्ड के सुपुर्द किया जाएगा । यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रस्ताव किया गया है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम 40 प्रतिशत विकास खण्ड इस नए कार्यक्रम में आ जाएं । इन नए विकास खण्डों में से हर एक को प्रति वर्ष 2 लाख रुपए मिलेंगे, यदि राज्य सरकारें कुछ व्यावहारिक योजनाएं प्रदान करें तो अतिरिक्त निधि भी उपलब्ध कराई जाएगी ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एस० एफ० डी० ए०, डी० पी० ए० पी० और सी० ए० डी० के चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के साथ-साथ कम से कम उस समय तक चलाए जाएंगे जब तक कि बाद के कार्यक्रम सामान्य रूप से न चल पड़ें । इसका अर्थ यह होगा कि औसत से एस० एफ० डी० ए० और सी० ए० डी० वाले विकास खण्ड 7–8 लाख रुपए वार्षिक तथा डी० पी० ए० पी० विकास खण्ड 11–12 लाख रुपए वार्षिक तक की वित्तीय सहायता प्राप्त करेंगे ।

एक मुख्य अन्तर जो नये कार्यक्रमों और पुराने कार्यक्रमों में है, वह केन्द्रीकृत नियोजन तथा प्रबंध के ऊपर बल देने से सम्बन्धित है । वर्तमान विशेष कार्यक्रमों से भिन्न विकास खण्ड स्तर की योजनाओं का अनुमोदन और स्वीकृति का दायित्व राज्य स्तर की उच्च शक्ति प्राप्त समितियों को सौंपा गया है । राज्य सरकारों को भी उन उपयुक्त योजनाओं को भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करके, स्वेच्छा से चुनने का अधिकार दिया गया है जो केन्द्रीय 'गाइड लाईंस' में सम्मिलित न हों । विकास खण्ड की इन योजनाओं में पंचायती राज की संस्थाओं और अच्छे प्रतिष्ठा वाले संगठनों को भी सहभागी बनना है । तो भी, इस नए कार्यक्रम की विशिष्ट विशेषता विकास खण्ड स्तर पर लघु नियोजन पर बल देना है । दांतवाला समिति ने विकास खण्ड और जिला स्तरों पर योजना इकाइयों के साथ-साथ गठित किए जाने की सिफारिश की है । इन इकाइयों से अपेक्षा की जाती है कि वे उचित समय सही रूप से विकास खण्ड योजनाएं तैयार करने का कार्य करने लगेंगी । यह आवश्यक है कि विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत संस्थाओं को चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के उन वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों से अवगत करा दिया जाए जो न केवल कृषि और अन्य सम्बन्धित गतिविधियों से सम्बन्धित हों बल्कि ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम तथा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों आदि सहित समस्त विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित हैं । दुर्भाग्य से अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा योजना परि-व्यय जिलावार नहीं तैयार किया गया है । विकास खण्डवार आंकड़े प्राप्त होना तो और भी कठिन है । यदि विकास खण्ड के लिए कोई समन्वित योजना विकसित करनी है तो यह कठिन अभ्यास तो करना ही पड़ेगा । इसके लिए यह आवश्यक होगा कि राज्य क्षेत्र के लिए परिव्यय (अर्थात् वह परिव्यय जिसको विभक्त न किया जा सके अथवा जिसके लाभ जिला इकाई के अलावा हों) और वह परिव्यय और लक्ष्य जिनको जिलावार विभक्त किया जा सके, इन दोनों को अलग-अलग तैयार करना होगा । दूसरे, बड़ी योजनाओं को तैयार करने के लए विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं । आंकड़ों की एक सूची तैयार करनी है। सूची न केवल सिंचाई की संभावनाओं, भू-सर्वेक्षण के परिणामों, वन लगाने की संभावनाओं या मत्स्य-पालन से ही संबंधित हो बल्कि छोटे किसानों, सीमांत किसानों, खेतिहार मजदूरों आदि की स्थिति के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण भी उसमें सम्मिलित हों क्योंकि इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य खेती, पशुपालन वानिकी, मत्स्य पालन आदि के उत्पादन कार्यक्रमों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है । अतः यह आवश्यक है कि विकास खण्ड स्तर पर एक ऋण योजना भी हो । सहकारी ऋण समितियां, भूमि विकास बैंक और वाणिज्यिक बैंक उनको कर्जा देने की व्यवस्था करें । इनके तथा अन्य सम्बन्धित सूचनाओं के आधार पर विकास खण्ड स्तर पर अत्यन्त उपयोगी योजनाएं तैयार की जा सकेंगी । यह आवश्यक है कि जैसे ही कार्यक्रम के अधीन व आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया में प्रवेश करें, इन परिवारों की आय पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर विकास खंड अधिकारी का कार्य होगा कि वह कार्यक्रमों के विभिन्न घटकों को अधिक विस्तृत तरीके से समन्वित करे। सिंचाई का विस्तार ग्रामीण विकास और ग्रामीण रोजगार का प्रमुख उपकरण है। एक

सिंचाई परियोजना के नियंत्रण के दायरे में चाहे वह बड़ी, मध्यम अथवा छोटी हो, एक नियन्त्रित क्षेत्र विकास नीति अपनाई जानी चाहिए। असिंचित क्षेत्रों में विकास का आधार जल प्रबंध होना चाहिए। इसी प्रकार जहां पर फालतू भूमि अथवा झाड़ीदार वन हैं, वहां पर दुधारू पशुओं के वितरण की योजना के समर्थन हेतु एक सामूहिक वन अथवा चरागाहों के विकास के लिए कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं। जिन क्षेत्रों में अच्छे तालाब, झील अथवा खारे पानी की बहुलता हो उनमें मछली पालन की गहन तकनीक को अपनाकर गरीब मछेरे परिवारों को अच्छी आमदनी हो सकती है।

यद्यपि इन नए कार्यक्रमों में प्रमुख बल खेती पर दिया गया है तो भी कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योग आदि को भी विकास खण्ड योजनाओं में अच्छा महत्व मिलना चाहिए। अध्ययनों से पता चलता है कि ग्रामीण उद्योगों से लगभग 70 प्रतिशत रोजगार और उत्पादन प्राप्त होता है उनको नए तरीकों से अधिक सक्षम बनाया जा सकता है। जिला उद्योग केन्द्र अगले दो वर्षों में देश के सभी जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। नए कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का संवर्द्धन करने के लिए विकास खण्ड स्तर के कार्यकर्ताओं को जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारियों के साथ निकट का सहयोग करके कार्य करना होगा जिससे कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जिला उद्योग कार्यक्रम साथ-साथ आगे बढ़ सकें। ग्रामीण कारीगरों के कार्यक्रम को भी तीव्र करना होगा जिससे नई कार्यदक्षता उत्पन्न हो सके और पारंपरिक दक्षता में सुधार आ सके। इसे करने के लिए खादी तथा ग्रामीण उद्योग कमीशन, हाथकरघा बोर्ड, रेशम बोर्ड' नारियल-जूट बोर्ड आदि से प्राप्त होने वाली तकनीक और वित्तीय सहायता को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

इन नए कार्यक्रमों से यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे तो भी यह संभावना है कि छोटी फसलों वाले क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों के लिए विशेष रूप से मौसमी बेरोजगारी आ सकती है। यह आवश्यक है कि ग्रामीण कार्यक्रम को विवेकपूर्ण ढंग से अपनाया जाए जिससे कि यह मौसमी बेरोजगार व्यक्तियों का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घावधि तक सामुदायिक सम्पत्ति बनाई जा सके और इससे खेतिहर मजदूरों की आमदनी और पोषण स्तर में सुधार लाया जा सके। बेरोजगारी के महीनों के दौरान वे ग्रामीण साहूकारों पर कम निर्भर रहेंगे। भारत सरकार पहले ही 'काम के लिए भोजन' कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से प्रारंभ कर चुकी है जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में काम में लाया जा सकता है। तो भी इससे ग्रामीण निर्धनों में किसी ऐसे संगठन की आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जा सकती जो जमीनों के मालिकों के साथ उनकी सौदा करने की शक्ति में सुधार ला सकें और इस प्रकार से उद्योगों में काम करने वालों की तरह से उनके वाजिब हकों को दिला सकें। इस दिशा में स्थानीय स्वैच्छिक एजेंसियां उपयोगी भूमिका निभा सकती हैं। ●

—अनु० सतीश चन्द्र
डब्ल्यू० जैड० 685,
श्रीनगर एक्स,
शकूरबस्ती,
दिल्ली-110034.

गांव

विहंगो के कलरव से गुंजित है गांव
गोरी के पनघट पे रुकते हैं पांव

चूड़ी भरे हाथों से टूटते पत्थर
श्रम की देवी का ये मंदिर और ठांव

घर से खेतों तक सुहाना सफर
सुन्दर सपनों का है मेरा ये गांव

झूठे वादों का दूर है मृगजल
प्रेम की पाल और ममता की नांव

पायलों की छम छम में मिलने के गीत
खेलती हवाएं और पीपल की छांव ।

अरुण शर्मा

वोट जन-भाषा में मांगने और नोट अंग्रेजी में लिखने का जनवादी व्यवस्था से मेल नहीं

मधु दण्डवते

अगर हम हिन्दी के विगत वर्षों के इतिहास पर ध्यान दें तो पाएंगे कि हिन्दी को समस्त देश की एक भाषा के रूप में विकसित करने का प्रयास अहिन्दी-भाषियों ने आरम्भ किया । आप जानते हैं कि हिन्दी आन्दोलन बंगाल से शुरू हुआ, गुजरात में पुष्पित हुआ, महाराष्ट्र में पल्लवित हुआ और फिर इसकी लताएं देश भर में चारों ओर फैलीं । बंगाल के राजा राममोहन राय ने हिन्दी आन्दोलन को राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान के आन्दोलन के साथ जोड़ा, गुजरात के महर्षि दयानन्द ने हिन्दी में 'सत्यार्थ प्रकाश' लिखा और हिन्दी को राष्ट्र की वाणी के रूप में प्रतिष्ठित किया । बाद में महाराष्ट्र के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय आन्दोलन के संचालन के लिए न केवल हिन्दी की आवश्यकता को महसूस किया वरन् उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि हिन्दी भाषा राष्ट्र भाषा बन सकती है और उनका यह राष्ट्रीय घोष मद्रास तक पहुंचा जहां महाकवि सुब्रह्मण्य भारती ने लोकमान्य तिलक से प्रेरणा लेकर अपनी पत्रिका में हिन्दी पाठ प्रकाशित करना शुरू किया और इसके बाद उन्होंने एक हिन्दी पत्रिका का सम्पादन भी किया ।

हिन्दी का प्रथम साप्ताहिक

यह सर्वविदित है कि हिन्दी की सर्वप्रथम पत्रिका 'उदन्त मार्तण्ड' का प्रकाशन 30 मई, 1826 में कलकत्ता से शुरू हुआ । दूसरा पत्र 'बंग दूत' भी कलकत्ता से ही सन् 1829 में निकला । इसके संस्थापक भारत के महान् निर्माता और बौद्धिक क्रान्ति के अग्रदूत राजा राम मोहन राय थे जो स्वयं हिन्दी में लिखा करते थे । सन् 1850 में श्री तारा शंकर मिश्र के संपादकत्व में 'सुधाकर' नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ । सन् 1854 में 'समाचार सुधावर्षण' के नाम से हिन्दी के सर्वप्रथम दैनिक समाचारपत्र का प्रकाशन हुआ जिनके सम्पादक स्वर्गीय श्यामसुन्दर सेन थे । स्पष्ट है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में बंगला-भाषियों ने हिन्दी को बहुत कुछ दिया है । बंगाल के सुप्रसिद्ध लोक सेवक आचार्य केशव चन्द्र सेन ने समाज-सुधार के हित में हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने का जोरदार प्रचार किया । 'आनन्द मठ' के रचयिता और "वन्दे मातरम्' के मंत्रदृष्टा बंकिम चन्द्र ने अपने 'बंग दर्शन' में सन् 1877 में लिखा था कि हिन्दी भाषा की सहायता से भारत वर्ष के विभिन्न प्रदेशों के बीच जो एकता का बन्धन स्थापित कर सकेंगे वेही सच्चे भारत-बन्धु कहलाने योग्य होंगे । योगी अरविन्द ने हिन्दी को देश की एकता की भाषा माना था । विश्वकवि रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने भी हिन्दी को राष्ट्र-भाषा के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता पर जोर दिया था ।

सन्त महात्माओं का योग

दसवीं शताब्दी का भारतीय संस्कृति और विभिन्न भाषाओं के विकास-क्रम में विशेष स्थान है । इसी काल में संतों, साधुओं, महात्माओं और पर्यटकों के योगदान से ब्रज-भाषा ने सम्पर्क भाषा के रूप में बहुत कुछ राष्ट्रवाणी की भूमिका अदा की । जहां विभिन्न अंचलों के ज्ञात-अज्ञात असंख्य संतों, महात्माओं और सुधारकों ने ब्रज-भाषा के माध्यम से अपने संदेशों और उपदेशों को दूर-दूर तक पहुंचाया, उड़ीसा के राय रामानन्द भट्टनायक, राजकवि प्रताप रुद्रदेव, जगन्नाथ देव, आनन्द दास, उद्धव दास आदि ने ब्रज-भाषा में रचना करके अविस्मरणीय योगदाम किया । आदिगुरु शंकराचार्य ने पुरी को वैष्णव नाम के रूप में प्रतिष्ठित किया और बारहवीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने यहां मठ की स्थापना की । भारत को उड़ीसा का महादान है— जगन्नाथ, जिसने देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को एक सूत्र में बांधा है । उड़ीसा ने जहां विभिन्न संस्कृतियों एवं ज्ञान-धाराओं में समन्वय स्थापित करने का अद्वितीय कार्य किया है, वहां इस वीर प्रसविनी धरती ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने स्वतन्त्रता की बलि-वेदी पर अपनी आहुति दी है । महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आन्दोलन के लिए उड़ीसा के समुद्र-तट को अपना संघर्ष-क्षेत्र चुना था और सन् 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया । यहां का सामाजिक जीवन आज की बेतहाशा भागती-दौड़ती जिन्दगी में भी कितना ठहरा हुआ, सरल और स्वच्छ है । वैसे यह व्यापार और नौ-वाणिज्य का केन्द्र है लेकिन तकनीकी युग की जटिलताएं, आधुनिक जीवन की हृदयहीन कठोरता और जीवन के व्यापारीकरण यहां व्याप्त नहीं हैं ।

उड़ीसा और हिन्दी प्रचार

आपको प्रसन्नता होगी कि यह क्षेत्र हिन्दी के प्रचार-प्रसार कार्य में भी पीछे नहीं है हालांकि यह अहिन्दी भाषी क्षेत्र है । यहां हिन्दी के प्रचार-प्रसार का कार्य व्यवस्थित रूप से सन् 1933 से आरम्भ हुआ जब उत्कल प्रान्तीय हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की गई । सन् 1938 में जब यहां चुनाव के बाद पहली सरकार बनी तो यहां के सभी विद्यालयों में हिन्दी पढ़ाने का आदेश दिया गया । इसमें व्यवधान पड़ते रहे फिर भी प्रभावशाली नेताओं के प्रयास से हिन्दी-प्रचार का कार्य चलता रहा और भारत के आजाद होने पर यहां के सभी विद्यालयों में हिन्दी को अनिवार्य विषय बना दिया गया । यहां के सभी विद्यालयों में चौथी कक्षा से हिन्दी पढ़ाई जाती है । सन् 1956 से स्नातक स्तर तक हिन्दी शिक्षा की व्यवस्था हो गई है । उत्कल विश्वविद्यालय में हिन्दी में एम० ए० कक्षाओं की व्यवस्था है । फिर भी, अहिन्दी भाषी क्षेत्रों की अपनी समस्याएं हैं ।

राजभाषा नीति

केन्द्र की राजभाषा नीति के अनुसार हमें केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर क्रमशः हिन्दी का और राज्यों में वहां की स्थानीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ाना है। इसके लिए विचार-विमर्श के बाद यह कार्य-विधि निश्चित की गई है कि भाषा के प्रश्न को सद्भाव और सहानुभूतिपूर्ण वातावरण में हल किया जाए। हमारा मंत्रालय इस कार्यविधि का पूरी निष्ठा से पालन कर रहा है। इसमें हमें काफी सफलता भी मिली है। हमारे क्षेत्रीय रेल प्रशासनों में से एक क्षेत्र में, जो पूर्णतः हिन्दी भाषी क्षेत्र में हैं, अधिकांश काम हिन्दी में हो रहा है। शेष आठ क्षेत्रों के उन कार्यालयों के आन्तरिक काम में हिन्दी का प्रयोग बढ़ा है, जहां अधिकांश कर्मचारी हिन्दी-भाषी हैं, या हिन्दी में प्रशिक्षित हैं और राजभाषा नियमों के अनुसार वे अधिसूचित कार्यालय कहलाते हैं।

हाल ही में रेलों के सोलह और प्रमुख कार्यालयों को अधिसूचित किया गया है। इनमें मुरादाबाद और फिरोजपुर मंडलों को छोड़कर पूरी उत्तर रेलवे तथा पश्चिम और मध्य रेलों के अधिकांश मंडल कार्यालय शामिल हैं। इन सभी अधिसूचित कार्यालयों में हिन्दी जानने वाले कर्मचारी और अधिकारी, अपवादस्वरूप कुछ मामलों के सिवाय, अंग्रेजी के स्थान पर अधिकतर हिन्दी का प्रयोग कर रहे हैं। जहां कहीं व्यावहारिक कठिनाई आ रही है, उसे दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

दोनों भाषाओं का प्रयोग

राजभाषा संशोधन अधिनियम के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों के प्रयोग की शुरूआत हुई है। प्रशासनिक दृष्टि से कुछ समय के लिए यह अनिवार्य भी है। रेल जैसे तकनीकी और देश-व्यापी सरकारी विभाग में प्रतिदिन सैकड़ों परिपत्र, अधिसूचनाएं, सामान्य आदेश आदि जारी होते हैं। प्रशासनिक और दूसरी विभागीय रिपोर्ट निकलती रहती है। इन्हें अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी जारी करना जरूरी है।

इस अनिवार्यता के कारण अनुवाद कार्य के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त कर्मचारी रखे जाने की आवश्यकता का अनुमोदन केन्द्रीय हिन्दी समिति ने भी किया है। हम भी देखेंगे कि अनुवादकों आदि की कमी दूर की जाए और इसके कारण रेल कार्यालयों में द्विभाषी अनिवार्यता के पालन में रुकावट न आने पाए। मैं समझता हूं कि जहां कर्मचारी और अधिकारी हिन्दी सीख गए हैं, वहां शासकीय कामकाज में अंग्रेजी के प्रयोग की अनिवार्यता धीरे-धीरे समाप्त कर दी जानी चाहिए, तभी प्रशासनिक दृष्टि से भाषा के विकास का रास्ता खुलेगा।

हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के प्रयोग की कानूनी आवश्यकता का पालन हिन्दीतर भाषा-भाषी राज्यों में स्थित कार्यालयों में भी होना है। जहां कर्मचारी हिन्दी सीख रहे हैं, उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम तेज करना चाहिए ताकि हिन्दी का ज्ञान हो जाने के बाद हिन्दी पत्रों के अंग्रेजी अनुवाद मांगने की प्रवृत्ति कम हो। जो अधिकारी हिन्दी सीख लेते हैं, उनके लिए हिन्दी में टाइप की हुई चिट्ठी पढ़ने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसमें अभ्यास महत्वपूर्ण बात है। जब तक हिन्दी में छपे हुए कागज दिन में दो-चार मर्तबा आंखों के सामने नहीं गुजरेंगे, तब तक अभ्यास का अवसर कैसे मिलेगा। अतः अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के उन अधिकारियों से, जो हिन्दी कक्षाओं में जाते हैं, विशेष अनुरोध है कि, हिन्दी छपे कागजों का अंग्रेजी अनुवाद मांगने की अपेक्षा, उन्हें स्वयं पढ़ने का प्रयास करें और तकनीकी होने पर ही उनके अंग्रेजी अनुवाद कराएं। इससे वे देखेंगे कि थोड़ी कोशिश के बाद वे स्वयं ऐसे कागजों को पढ़ और समझ सकेंगे और उनके अनुवाद कराने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी।

रेलों में हिन्दी की प्रगति

रेलों पर हिन्दी का प्रयोग-प्रसार सुव्यवस्थित ढंग से हो रहा है। अब रेलों पर हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या 2,269 हो चुकी है। जहां पहले कुछ सौ पत्र ही हिन्दी में लिखे जाते थे, अब उनकी संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। साथ ही नियम-पुस्तकों, स्टेशन-संचालन-नियमों और फार्मों आदि के अनुवाद की स्थिति पर्याप्त उत्साहवर्द्धक है। रेलों पर हिन्दी पुस्तकालयों की संख्या भी 233 हो चुकी है।

रेल मंत्रालय में हिन्दी प्रशिक्षण की स्थिति भी काफी अच्छी है। बोर्ड कार्यालय के अब केवल 53 अधिकारियों का हिन्दी प्रशिक्षण शेष है। बोर्ड के सदस्यों को छोड़कर, जिनकी अवस्था पहले ही 54-55 को पार कर चुकी है, मंत्रालय के सभी अधिकारियों का हिन्दी प्रशिक्षण लक्ष्य से पहले पूरा हो जाने की आशा है। अभी तक रेलों के लगभग एक लाख कर्मचारी प्रशिक्षित हो चुके हैं और इस प्रकार हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 2.46 लाख हो चुकी है। इस दिशा में अनवरत प्रयास जारी है। क्षेत्रीय रेलों के उच्च अधिकारियों को हिन्दी सिखाने की ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। यदि गृह मंत्रालय की हिन्दी शिक्षण योजना उनके प्रशिक्षण के लिए नाकाफी मालूम हुई तो उनके लिए रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा में विशेष पाठ्यक्रम चलाए जा सकते हैं।

जहां तक हिन्दी आशुलिपिकों की व्यवस्था का प्रश्न है, अभी मंत्रालय में हिन्दी आशुलिपिकों का अलग संवर्ग नहीं है। मंत्रालय के जो आशुलिपिक हिन्दी आशुलिपि सीख चुके हैं, उनके लिए गृह मंत्रालय के परामर्श से पुनश्चर्या पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं क्योंकि हिन्दी में काम करने का अभ्यास न हो पाने के कारण वे अपना ज्ञान बहुत कुछ भूल गए हैं। इसके बारे में गृह मंत्रालय से लिखापढ़ी भी चल रही है। अभी तक रेलों के 760 आशुलिपिकों और 1,735 टाइपिस्टों का हिन्दी में प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरी तेजी से चल रहा है, जिसके अच्छे परिणाम भी निकलेंगे।

सामूहिक पुरस्कार योजना

रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति की एक बैठक में यह विचार रखा गया था कि जो विभाग अपना सर्वाधिक काम हिन्दी में करें उसे सामूहिक रूप से पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। सामूहिक पुरस्कार की यह योजना इसी वर्ष से रेल मंत्रालय और क्षेत्रीय रेलों पर लागू की जा रही है। इसमें हिन्दी का सर्वाधिक काम करने वाले विभाग/निदेशालयों को तीन, दो और एक

हजार रुपए के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे ।

पिछले दिनों नई दिल्ली में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ था जिसमें देश की विभिन्न राजभाषाओं के प्रयोग से सम्बन्धित विविध समस्याओं पर सभी प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने मिल-जुल कर विचार-विमर्श किया था । इस सम्मेलन की एक विचार-गोष्ठी में भाग लेने का मौका मुझे भी मिला । वहां मैंने लोगों के विचार सुने और अपनी यह धारणा भी स्पष्ट की कि भारतीय भाषाओं के प्रयोग-प्रसार के सिवाय देश के सामने और कोई विकल्प नहीं है । शिक्षा और प्रशासन दोनों क्षेत्रों में अपनी भाषा को अपनाये बिना हम सही दिशा में नहीं बढ़ पाएंगे । इस सम्मेलन की सिफारिशों को हम देखेंगे और उनके अनुसार राजभाषा का प्रसार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।

पिछली मार्च में नई दिल्ली में केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक हुई थी । उसमें मैं भी गया था । उस बैठक में यह विचार किया गया था कि सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम बनाकर हिन्दी सीख लें और हिन्दी सीखे हुए अधिकारियों की सहायता के लिए हिन्दी आशुलिपिकों की व्यवस्था की जाए ।

बेबुनियाद प्रचार

भाषा के सवाल को लेकर कुछ बेबुनियाद बातें भी प्रचलित हुई हैं । विश्वास है, हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों पर इन बबुनियाद प्रचारों का कोई प्रभाव न तो पड़ा है और न पड़ेगा । जब हमारे नेता यह कहते हैं कि भाषा किसी पर थोपी नहीं जाएगी तो उसका यह अर्थ नहीं है कि संविधान ने भाषा के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की है या राजभाषा अधिनियम के जो प्रावधान हैं, उनका पालन नहीं किया जाएगा । प्रधानमंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि न तो किसी पर हिन्दी लादी जाएगी और न ही किसी पर अंग्रेजी । जाहिर है कि भाषा के प्रश्न पर किसी जोर-जबरदस्ती का सवाल नहीं है । लेकिन, साथ ही इसके बारे में संविधान और राजभाषा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना है । मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिन्दी-भाषी क्षेत्रों और उन कार्यालयों में जहां 80 प्रतिशत कर्मचारी हिन्दी जानते हैं, वहां हिन्दी में ही कार्य किया जाना चाहिए क्योंकि यह न हुआ तो वहां अंग्रेजी भाषा का लादना होगा । बेशक, अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में जहां अहिन्दी भाषी कर्मचारियों ने हिन्दी का अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो, उन्हें अंग्रेजी में काम करते रहने की छूट रहेगी । लेकिन, वहां भी, राजभाषा नियम के अनुसार जिन कागजात को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है, उन्हें दोनों भाषाओं में जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी ।

हमारा प्रमुख उद्देश्य तो यह है कि रेलवे जैसे राष्ट्रीय और आर्थिक महत्व के सर्वाधिक व्यापक राजकीय प्रतिष्ठान को किस प्रकार अधिक कुशल, सक्षम, कारगर और समाज के लिए उपयोगी बनाया जाए । जब लोकशाही शासन प्रणाली में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा न मिला तो वह सच्ची जनतांत्रिक प्रक्रिया कैसे प्रारम्भ होगी, जिसके अभाव में लोक-कल्याण की योजनाएं कागजों तक सीमित रह जाती हैं । वोट जन-भाषा में मांगना और नोट अंग्रेजी में लिखना जनवादी व्यवस्था से मेल नहीं खाता ।

(26 मई, 1978 को पुरी में रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में दिए गए भाषण पर आधारित)।

प्रतिदिन हो त्योहार हमारा

आगे बढ़ने का मतलब है
बिजली बांधो आज पांव में ।

सबक सीखना चाहो, सीखो
बार-बार अपनी भूलों से ।
मिलती नहीं कभी भी खुशबू
सुन्दर कागज के फूलों से ।

परिवर्तन लाना पड़ता है
पहले खुद के ही स्वभाव में ।

लहरों से यदि बात करें तो
नहीं मिलेगा कभी किनारा ।

अच्छा हो, अपने हाथों से
मथ डालें हम सागर सारा ।

फर्क मिटाना होगा अब तो
साहस पूर्वक धूप-छांव में ।

फिर कैसी होली-दीवाली
प्रतिदिन हो त्योहार हमारा ।
शहर न कोई मौज मनाए
गांव न कोई हो बंजारा ।

आग न ठंडी होने पाए
साथी सपनों के अभाव में ।

—इन्दिरा परमार

हिन्दी में कामकाज करने पर नकद पुरस्कार देने की योजना

जगन्नाथ

कुछ वर्ष पहले तक केन्द्रीय सरकार की ओर से केवल उन कर्मचारियों को पुरस्कार आदि दिए जाते थे, जिन्हें सरकारी नौकरी में आते समय हिन्दी का ज्ञान नहीं होता था और बाद में हिन्दी की परीक्षाएं पास करते थे। परीक्षा पास करने वालों को ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी कि वे अपने कार्यालय का कुछ काम हिन्दी में भी करें। नतीजा यह होता था कि हिन्दी की परीक्षा पास करने पर भी हिन्दी में काम न करने के कारण उनमें से अनेक व्यक्ति हिन्दी भूलते रहे थे।

भारतीय संविधान के अनुसार अब केन्द्रीय सरकार की प्रमुख राजभाषा हिन्दी है। यद्यपि राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुसार हिन्दी के साथ अंग्रेज़ी का भी प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु सन् 1968 में संसद् में पारित हुए एक प्रस्ताव के अनुसार केन्द्रीय सरकार हिन्दी का सरकारी कामकाज में उपयोग बढ़ाने के लिए जो वार्षिक कार्यक्रम बनाती है उसमें हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते रहे हैं। स्पष्ट है कि जिन कर्मचारियों को हिन्दी नहीं आती, उन्हें हिन्दी सिखाने का काम इस उद्देश्य से किया जाता है कि वे हिन्दी की परीक्षाएं पास करके सरकारी कामकाज में हिन्दी का उपयोग बढ़ाने में सहायक सिद्ध हों। कुछ वर्ष पूर्व यह महसूस किया गया कि आवश्यकता इस बात की है कि जो व्यक्ति पहले से ही हिन्दी जानते थे या जिन्होंने नौकरी में आकर हिन्दी सीखी है, वे सब अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुसार हिन्दी में लिखने की शुरुआत भी करें। विभिन्न विभागों में कुछ व्यक्तियों ने थोड़ा बहुत काम हिन्दी में करना शुरू भी कर दिया था, किन्तु उनके द्वारा किये जाने वाले काम की मात्रा कुल मिलाकर इतनी अधिक नहीं थी कि उसका व्यापक प्रभाव दिखाई पड़े। अतः कर्मचारियों को स्वेच्छा से हिन्दी में काम करने की प्रेरणा देने के लिए गृह-मंत्रालय ने 5 अक्तूबर, 1974 के कार्यालय ज्ञापन सं० 11015/8/74-रा० भा० (क-2) के द्वारा उन व्यक्तियों को नकद पुरस्कार देने की योजना चालू की जो अपने कार्यालयों में टिप्पण और आलेखन आदि में हिन्दी का उपयोग करें।

इस योजना की भूमिका इन शब्दों में दी गई :—

"संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिन्दी संघ की राजभाषा है। तथापि, यथासंशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा '3' के उपबन्धों के अनुसार संघ के उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के अलावा अंग्रेज़ी का उपयोग जारी रहेगा जिनके लिए उसका उपयोग 26 जनवरी, 1965 के तुरन्त पहले किया जाता था। इस प्रकार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अपना सरकारी कामकाज हिन्दी या अंग्रेज़ी में करने के लिए स्वतंत्र हैं। हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन 5 लाख से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसी प्रकार काफी संख्या में टाइपिस्टों/स्टेनोग्राफरों को भी हिन्दी टाइपराईटिंग और शार्टहैंड का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ऐसे कर्मचारियों की संख्या भी बहुत है जो नौकरी में आने के समय हिन्दी जानते थे। यद्यपि हिन्दी संघ की राजभाषा है, तथापि, ऐसा देखा गया है कि बहुत कम कर्मचारी अपना कामकाज हिन्दी में करते हैं। यह अनुभव रहा है कि हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन जिन कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, उन्हें अपना कामकाज हिन्दी में करने का अभ्यास न होने के कारण, जो कुछ हिन्दी का ज्ञान इस योजना के अधीन उन्हें प्राप्त होता है वे उसे भी भूल जाते हैं। इस प्रकार हिन्दी शिक्षण योजना के चलाने पर किया गया खर्च बेकार हो जाता है। इसलिए हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन कर्मचारियों को दिए गए प्रशिक्षण का प्रभावी उपयोग करने और जो कर्मचारी हिन्दी जानते हैं, उन्हें हिन्दी में टिप्पण आलेखन करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए एक नकद पुरस्कार योजना बनाई गयी है।"

इस योजना को मंत्रालयों/विभागों तथा हिन्दी भाषी क्षेत्रों में और महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब राज्यों में तथा चंडीगढ़ स्थित उन सरकारी कार्यालयों में लागू किया गया जिनमें कर्मचारियों की संख्या (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर) 500 से कम न हो। मंत्रालयों और विभागों के संबंध में कर्मचारियों की संख्या के बारे में कोई शर्त नहीं रखी गई। अर्थात् यदि वहां कर्मचारियों की संख्या 500 से भी कम हो तो भी वहां यह योजना लागू की जा सकती है। निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आदि संगठनों को भी जिनके अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव जैसे स्तर के हैं, इस योजना के लिए मंत्रालय की भांति माना जाता है। सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में यदि कहीं कर्मचारियों की संख्या 500 से कम हो तो उस कार्यालय के अधिकारी अपने मंत्रालय/विभाग या मुख्य कार्यालयों के साथ मिलकर इस योजना में शामिल हो सकते हैं। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के कर्मचारी भी अपने मंत्रालय/विभाग या मुख्य कार्यालय के साथ मिलकर प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं।

इस योजना में उप-सचिव या समकक्ष पद तक के अधिकारी तथा कर्मचारी शामिल हो सकते हैं।

इस योजना के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों तथा कार्यालयों आदि के उन व्यक्तियों को पुरस्कार दिए जाते हैं, जो एक वर्ष की अवधि में अधिकतम सरकारी कामकाज हिन्दी में करें। कितना काम हिन्दी में किया गया है, इसका रिकार्ड एक नियत फार्म में रखा जाता है, जिससे कि वर्ष के अन्त में मूल्यांकन करके यह तय किया जा सके कि किन-किन व्यक्तियों को इनाम दिया जाना

है। काम का मूल्यांकन करने के लिए अधिकतम '100' अंक रखे गये हैं। इनमें से अधिकतम 70 अंक हिन्दी में किए गए काम की मात्रा के अनुसार दिए जाते हैं और अधिकतम 30 अंक हिन्दी में टिप्पण और आलेखन की योग्यता के लिए।

जो अंक हिन्दी में किए गए काम की मात्रा के संबंध में दिए जाते हैं, उसकी गणना का तरीका यह है कि यदि किसी कर्मचारी ने वर्ष भर में 50,000 शब्द हिन्दी में लिखे तो उसे 40 अंक दिए जाएंगे। यदि उसने उससे अधिक शब्द लिखे तो प्रति 5,000 अतिरिक्त शब्द लिखने के लिए एक अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि हिन्दी में लिखे गए शब्द 50,000 से कम होंगे तो प्रति 5,000 पर एक अंक कम कर दिया जाएगा। हिन्दी में लिखे गए शब्दों का रिकर्ड रखने के लिए यह जरूरी नहीं है कि एक-एक शब्द की गिनती की जाए। सरकार द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा 10 या 15 पंक्तियों में लिखे गए शब्दों की संख्या गिनकर उनका प्रति पंक्ति औसत निकाला जा सकता है और फिर उस व्यक्ति द्वारा जितनी पंक्तियां लिखी जाएं उसकी औसत से गुणा करने पर शब्द पर संख्या रिकार्ड की जा सकती है। उदाहरण के रूप में यदि कोई व्यक्ति आम तौर से 11 पंक्तियों में 100 शब्द लिखता है, तो प्रति पंक्ति शब्द का औसत '9 हुआ। फिर यदि वह दिन भर में 25 पंक्तियां लिखे तो यह माना जाएगा कि उसने उस दिन 25×9=225 शब्द लिखे।

इस योजना में सभी भाषा वर्ग के कर्मचारी भाग ले सकते हैं। लेकिन जिनकी मातृभाषा हिन्दी है, उन्हें हिन्दी भाषियों की अपेक्षा अधिक अंक दिए जाते हैं। हिन्दी भाषी कर्मचारियों द्वारा जितने शब्द लिखे जाएंगे, उन्हें उतने शब्दों के ही अंक मिलेंगे, लेकिन जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलगू, मलयालम या कन्नड़ है, उनके अंकों को 30 प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है। जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया, असमिया या कोई सम्बद्ध भाषा है, उनके अंकों को 20 प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है। जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, पश्तो या कोई अन्य भाषा है, उन्हें 10 प्रतिशत अधिक अंक दिये जाते हैं।

टिप्पण और आलेखन की योग्यता के सम्बन्ध में जो अधिकतम 30 अंक दिए जाते हैं, वे इस आधार पर दिये जाते हैं कि संबंधित प्रतियोगिता में प्रतियोगी अपने विचारों को किस रूप में प्रस्तुत करता है, उसका शब्द चयन और लिखने की शैली कैसी है। इसके लिए प्रतियोगी अपने विभाग को अपनी पसन्द की पांच टिप्पणियां और मसौदे प्रस्तुत करता है, जिनके द्वारा उसके काम की विशेषता को आंका जा सके।

इस योजना में भाग लेने वाले व्यक्ति को प्रति दिन अपने काम का विवरण रखना होता है, जिसमें वह तारीख डायरी या फाइल संख्या, जिस पर हिन्दी की टिप्पणी या मसौदा लिखा गया, तथा कितने शब्द हिन्दी में लिखे गए, यह बात नोट करता है। इस रिकार्ड पर कर्मचारी अपने से उच्चाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर करा लेता है। यह विवरण वर्ष के अंत में संबंधित कार्यालय द्वारा गठित मूल्यांकन समिति के सामने रखा जाता है। इस मूल्यांकन समिति में मुख्य मंत्रालय और विभागों के प्रशासन से संबंधित संयुक्त-सचिव, हिन्दी के प्रयोग के बारे में आदेशों के कार्यान्वियन से संबंधित उप-सचिव तथा संगठन और पद्धति के प्रभारी अवर-सचिव सदस्य होते हैं। सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में विभाग के अध्यक्ष या कार्यालय के अध्यक्ष तथा दो अन्य राजपत्रित अधिकारी इसके सदस्य होते हैं।

इस योजना के अधीन हर वर्ष नीचे लिखे नकद पुरस्कार दिये जाते हैं :—

(क) मुख्य मंत्रालय और विभाग :

पहला इनाम	250 रुपये
दूसरा इनाम	150 रुपये
तीसरा इनाम	75 रुपये

प्रतियोगियों की संख्या 25 से ज्यादा होने पर हर अतिरिक्त 10 प्रतियोगियों के लिए 50–50 रुपये का प्रोत्साहन पुरस्कार।

(ख) सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय, जिनके कर्मचारियों की संख्या 500 से कम न हो :

पहला इनाम	200 रुपये
दूसरा इनाम	100 रुपये
तीसरा इनाम	75 रुपये

प्रतियोगियों की संख्या 25 से ज्यादा होने पर, हर अतिरिक्त 10 प्रतियोगियों के लिए 50–50 रुपये का प्रोत्साहन पुरस्कार।

जो कर्मचारी एक वर्ष में 50,000 या इससे अधिक हिन्दी के शब्द लिखता है, उसे प्रशंसा पत्र दिया जाता है।

उपरोक्त पुरस्कार (इनाम) मंत्रालयों, विभागों तथा कार्यालयों के लिए अलग-अलग हैं, इकठ्ठे नहीं।

जो व्यक्ति प्रतिदिन हाथ से लगभग एक फुलस्केप की टिप्पणी या पत्र हिन्दी में लिखता है, उनके हिन्दी काम की मात्रा प्रतिदिन लगभग 300–350 शब्द हो जाती है। यदि यह सामग्री टाइप की हुई हो तो एक पृष्ठ में 400 से 500 तक शब्द बैठते हैं। यदि कोई व्यक्ति औसतन प्रतिदिन 200 शब्द भी हिन्दी में लिखे और वर्ष में उसने केवल 250 दिन ही कार्य किया हो, तब भी उसके द्वारा लिखे गये हिन्दी शब्दों की संख्या 50,000 से कहीं अधिक बैठेगी। प्रतिदिन के पत्र-व्यवहार तथा रुटीन किस्म की टिप्पणियों में सामान्यत: एक-एक व्यक्ति 6–6, 7–7 पृष्ठ लिखता रहता है। अत: पुरस्कार पाने लायक हिन्दी में काम कर सकना कोई कठिन बात नहीं है, विशेष रूप से उस स्थिति में जब कि सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सरकारी कामकाज में सरल हिन्दी का इस्तेमाल किया जाए और अंग्रेज़ी तथा अन्य भाषाओं के जो प्रचलित शब्द हैं, उन्हें उसी रूप में देवनागरी लिपि में लिखकर काम चलाने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए।

अनेक विभागों और कार्यालयों के कर्मचारियों ने इस पुरस्कार योजना में भाग लिया है और उपर्युक्त इनाम प्राप्त किए हैं। लेकिन कई कार्यालयों में इस योजना की या तो जानकारी नहीं है या उसके पहलुओं को ठीक रूप से नहीं समझा गया है यद्यपि अपने 3 फरवरी, 1975 के कार्यालय ज्ञापन सं० ई 13015/10/74-रा० भा० (क-2) के द्वारा गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण भी जारी कर दिए हैं। जिन कार्यालयों में कर्मचारियों की विशेष बैठकें बुला कर इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें समझा दी गई, वहां के कर्मचारियों ने इसमें खुशी-खुशी भाग लिया। ●

आप अब भी

अपना पैसा दुगुना कर सकते हैं

सूझबूझ से बचत करने वालों के लिए यह ऋण-पत्र बहुत बड़ा आकर्षण है। इस पर 14.3% प्रति वर्ष साधारण ब्याज मिलता है।

100 रु० लगाइए
7 वर्ष बाद
200 रु० पाइए

5 सुविधाजनक मूल्यों में उपलब्ध। आप मनचाही राशि जमा कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर 3 वर्ष बाद इसे भुनाया जा सकता है।

राष्ट्रीय बचत पत्र (पंचम निर्गम) के द्वारा

अन्य लाभ

★ आयकर के प्रयोजन के लिए ब्याज का हिसाब सालाना (नई सुविधा)

★ धन कर से छूट (1.5 लाख रु० तक)

★ कर-मुक्त ब्याज (1 वर्ष में 3000 रु० तक)

अधिक जानकारी के लिए कृपया सम्पर्क करें :

* अधिकृत एजेंट, अथवा
* जिला बचत अधिकारी, अथवा
* समीपस्थ डाक घर, अथवा
* अपने इलाके के क्षेत्रीय निदेशक (राष्ट्रीय बचत)

राष्ट्रीय बचत संगठन
पोस्ट बाक्स 96,
नागपुर-440001

डीएवीपी 78/204

साहित्य समीक्षा

रेत पर नाव : लेखक—राज केसरबानी, प्रकाशक : लोक चेतना प्रकाशन, जबलपुर, म०प्र०, पृष्ठ संख्या 38 मूल्य 3.00 रु० ।

यान्त्रिकता के इस युग में कविता ही मानवीय भावनाओं को जोड़ती है और एक ही समय में अनेक पाठकों की अनुभूतियों को एक सी भावनाओं में विभोर करके मन को कोमल बनाने में सहायता करती है । लेकिन आज की कविता अपने समसामयिक परिवेश, घुटन और आक्रोश तथा उससे निरंतर संघर्ष एवं उससे निवृत्ति के प्रयास का परिणाम है जिसका प्रमाण है, उभरते हुए कवि 'राज केसरवानी' का काव्य संग्रह 'रेत पर नाव' जो अपने नाम से ही सिद्ध करता है कि रेत में से नाव को पार लगाना कितना संघर्षप्रद कार्य है लेकिन संघर्ष रुका नहीं, जारी है :—

जहां वे 'सूर्यमुखी वादे' में इस तथ्य से अभिज्ञ हुए—

'आज ज्ञात हुआ
तुम्हारे नव निर्माण का दुर्ग
रेगिस्तानी था
ढह गया' और
'एक अन्तहीन दर्द' बन गया—
'हाथ जब भी बढ़े
कुछ पाने के निमित्त
झुलसे हुए लौटे
रिसता रक्त ही
अब प्राप्य बन गया' वहां इतना जीने पर भी 'अंधेरे के विरुद्ध' आशा का दीप टिमटिमाने की आकांक्षा अभी चुकी नहीं है—

'अन्धेरा तोड़ने को
काफी है
एक नन्हा सा दीप
आशा—आकांक्षा का
उसे रख दो
सीधे हाथों
छंटेगा अंधेरा
स्वयंमेव'

इस प्रकार यह काव्य संग्रह निरन्तर संघर्ष की प्रेरणा देता है । सम्पादन तथा मुद्रण कलात्मक है । निश्चय ही नवीन काव्य में यह अपना व्यक्तित्व बनाए रखेगा ।

—श्रीमती सत्या शर्मा
एफ-6, जावाहर पार्क वैस्ट
लक्ष्मीनगर, दिल्ली-110092

रामगंगा का शेर : लेखक : चन्द्रदत्त 'इन्दु', प्रकाशक: प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली : मूल्य 3.50 ।

बाल साहित्य में उपन्यास का एक अलग महत्व है। विशेषकर बाल-साहित्य में जंगली-जीवन पर आधारित उपन्यास कम ही लिखे गए हैं। चन्द्रदत्त 'इन्दु' का यह दूसरा उपन्यास 'रामगंगा का शेर' जंगल की पृष्ठभूमि पर ही आधारित है। इसमें शेर-जीवन की व्याख्या एक सरल कथासूत्र के माध्यम से की गई है।

उपन्यास में शेर-जीवन से संबन्धित अनेक जानकारियां प्रस्तुत की गई हैं। शेर कहां और कैसे रहता है ? ऋतु-परिवर्तन के समय वह अपना निवास-परिवर्तन कहां-कहां करता है? शेर क्या खाता है? शेर का जंगल के अन्य पशुओं से क्या सम्बन्ध होता है? शेर अपना शिकार कैसे करता है ? शेर को जीवित पकड़ने के लिए क्या-क्या प्रबन्ध करने पड़ते हैं? शेर नरभक्षी क्यों हो जाता है? आदि जिज्ञासाओं का समाधान करने में उपन्यासकार सफल रहा है।

उपन्यास की भाषा शैली सरल, सुबोध व बाल-पाठकों के अनुकूल है। यद्यपि कहीं-कहीं बौझिल शब्दों का प्रयोग बच्चों के लिए दुर्बोध रहेगा। चित्र व साज-सज्जा विषय के अनुरूप ही है।

एक बात और जो खटकती है, वह है मूल्य की अधिकता। बाल-साहित्य के सन्दर्भ में, मूल्यों की ओर प्रकाशनों को विशेष ध्यान देना चाहिए। बाल-पुस्तकों का मूल्य इतना कम रखा जाना चाहिए कि वह अधिकाधिक बच्चों तक सरलता से पहुंच सकें ।

—अनिल जन-विजय
4483, गली जाटान,
पहाड़ी धीरज,
दिल्ली-110006 ।

'ग्राम भारती', (हिन्दी मासिक-अगस्त-78) : प्रधान सम्पादक-श्री आनन्द प्रकाश रस्तोगी, सम्पादक-श्री मदन 'विरक्त', कार्यालय फार्मर्स फेडरेशन आफ इंडिया, 507 विट्ठलभाई पटेल भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 वार्षिक चन्दा : 10.00 रु०

'ग्राम भारती' हिन्दी मासिक किसानों के लिए समर्पित पत्रिका लगी। जैसा कि प्रधान सम्पादक श्री आनन्द प्रकाश रस्तोगी के सम्पादकीय में स्पष्ट किया गया है, भारतीय किसानों को संगठित करना, देश की समृद्धि के लिए किसानों के हितों की रक्षा करना, किसानों में राष्ट्रीय चेतना जाग्रत करना, उन्हें

ग्राम-विकास की प्रेरणा देना ही पत्रिका का उद्देश्य बताया गया है। पत्रिका अपने इन उद्देश्यों को आगे चला कर अवश्य पूर्ण करने में समर्थ होगी, ऐसा विश्वास पत्रिका के पढ़ने से होता है।

भारत सरकार के केन्द्रीय कृषि एवं सिंचाई राज्यमंत्री श्री भानुप्रताप सिंह का लेख सम्पूर्ण ग्राम विकास के सन्दर्भ में, सीखो, कमाओ और प्रेरक बनो, ग्राम विकास वाहिनी का सन्देश' शीर्षक से अधिक पठनीय एवं प्रेरणा दायक है।

किसका ग्राम, भारती कौन, शीर्षक लेख के लेखक डा० विक्रम सिंह ने देश-विदेश के ग्राम-विकास और उसकी समस्याओं के तुलनात्मक उपायों पर रचनात्मक प्रकाश डाला है।

किसानों की ही मूल समस्याओं और निदानों के प्रति जागरूक, निर्भीक, क्रांतिकारी तथा प्रदर्शक किसान पत्रिका का सर्वथा आज अभाव है। इसी कमी को क्या यह पत्रिका दूर करेगी?

इतने बड़े उद्देश्य के लिए जगह बहुत कम है। अनुरूप लेखों का चयन करने में शायद पृष्ठ संख्या आड़े आ सकती है। पत्रिका पूर्णतः उपादेय एवं उत्कृष्ट लगी। सम्पादक बधाई के पात्र हैं।

रमेश बलूनी,
13/2, गांधी नगर-मेरठ

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय (खण्ड छियासठ) : प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, मूल्य : 7.50, पृष्ठ 560।

प्रस्तुत ग्रंथ में स्वनामधन्य महात्मा गांधी के 1 अगस्त, 1937 से 31 मार्च, 1938 तक के अनेक पत्रों एवं भाषणों को प्रकाशित किया गया है। इसमें 13 परिशिष्ट, सामग्री के साधन-सूत्र, तारीख वार जीवन-वृत्तांत, शीर्षक सांकेतिका एवं सांकेतिका भी पाठक की सुविधा हेतु सम्मिलित हैं।

पांच सौ साठ पृष्ठों के इस विशाल ग्रंथ में महात्मा गांधी के परोपकार, क्रोध-नियंत्रण, शान्ति, अहिंसा, मद्य-निषेध, शिक्षा, सहिष्णुता आदि से सम्बद्ध विचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। गांधी जी शराब-बन्दी के पक्के समर्थक थे। (पृष्ठ 90-179-190)। वे स्वावलम्बी शिक्षा के पक्षपाती थे। उसको वे गांवों के लिए एक आर्थिक आवश्यकता एवं गरीबी तथा अमीरी के बीच की खाई पाटने का साधन मानते थे। (पृष्ठ 152, 168, 188)।

महात्मा गांधी नागरिक स्वतंत्रता को अपराध करने की आजादी का पर्याय नहीं मानते थे। हिंसात्मक कार्यवाहियों और साम्प्रदायिकता में उनका विश्वास नहीं था। एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को अपने दल के नेताओं की पूरी जानकारी के साथ आलोचना करने का समर्थन करते थे। (पृष्ठ 327-28)

सम्पूर्ण ग्रंथ की भाषा सरल एवं प्रवाहपूर्ण है। कहीं भी अनुवाद सम्बन्धी शिथिलता दिखाई नहीं देती। मुद्रण उत्कृष्ट है एवं मूल्य भी बहुत कम है।

—राम कृष्ण कौशिक,
आई-8, पटेल मार्ग,
गाजियाबाद-201001

भागीरथ सचित्र त्रैमासिक जुलाई अंक 1978 : मूल्य : एक रुपया, पृष्ठ सं0 36, संपादक ; राधाकांत भारती, प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, भारत सरकार

सिंचाई और विद्युत् के क्षेत्र में भारत सरकार की एकमात्र हिन्दी पत्रिका 'भगीरथ' का नया रूप रंग सराहनीय है। पत्रिका के उद्देश्य और सामग्री के अनुरूप ही इसका आवरण चित्र उपयुक्त और मनोरम है। इस अंक के लेख तथा अन्य स्तंभों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अब सामग्री के चयन में संतुलन आ रहा है।

इस अंक का मुख्य लेख "महिमामयी गंगा" संकट में एक नई दिशा का संकेत है। विशेषज्ञ अभियंता श्री वीरेन्द्रनाथ ओझा ने गंगा के जन कल्याणकारी रूप और उसकी उपयोगिता के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला है। आजकल बाढ़ भारत की ज्वलंत समस्या है। श्री बसावन सिंह ने इस समस्या के विकट रूप का परिचय देकर उसके नियंत्रण के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों का विवरण प्रस्तुत किया है। इस लेख में दिए गए बाढ़ के वास्तविक चित्र लेख की उपादेयता को बढ़ा देते हैं।

बिजली से संबंधित लेख 'तारापुर बिजलीघर' तथा 'ऊर्जा बचाइए' रोचक और उपयोगी जानकारी देने वाले हैं। चित्रों से इनकी उपयोगिता बढ़ गई है, इस प्रकार 'भगीरथ' का सचित्र त्रैमासिक कहा जाना सार्थक प्रतीत होता है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि पत्रिका में दिए गए कुछ चित्र पुराने हैं। ऐसे लेखों के साथ पूरी की गई योजनाओं के नए चित्र देना ज्यादा लाभदायक रहेगा। कृषि यंत्र तथा किसानों की जानकारी के लिए अन्य उपयोगी सूचनाएं भी दी जानी चाहिए। इस अंक में दी गई सूचनाओं से ज्ञात होता है कि पत्रिका का क्षेत्र व्यापक बनाने के उद्देश्य से नए स्तंभ आरंभ किए जा रहे हैं—यह विचार स्वागत योग्य है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण किसानों के स्तर की सामग्री अधिक हो, उसमें कमी आने से मुख्य उद्देश्य की पूर्ति में बाधा आने की संभावना है।

पत्रिका में जहां-तहां प्रूफ की कुछ भूलें रह गई हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें देश की जल-विद्युत और सिंचाई योजनाओं की तारीफ के साथ उनकी समस्याओं तथा त्रुटियों पर भी प्रकाश डालना चाहिए। सब मिलाकर यह कहा जा सकता है कि श्री राधा कान्त भारती के सुयोग्य संपादन में हमें भगीरथ के विकास और प्रसार की पूरी संभावना दीख पड़ती है।

शिवरानी देवी,
द्वारा श्री अरुण,
सैक्टर-5, क्वार्टर-820
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-22

अल्मोड़ा जनपद के अन्तर्गत

त्रिमुखी वन खेती योजना

सुरेन्द्र पाल सिंह खाती

अल्मोड़ा में खैराना की सड़क के किनारे सघन वृक्षावलि

पर्वतीय भू-भाग में वनों का महत्व सर्वविदित है। परन्तु कुछ वर्षों से जिस प्रकार वनों का कटाव हुआ है उसके कुफल को ग्रामीण क्षेत्रों में अवर्षण, चारे की कमी, भूमि का कटाव, भूमि की उर्वरा शक्ति के अभाव तथा पेयजल के कष्ट के रूप में भुगतना पड़ रहा है।

पर्वतीय जनों का मुख्य धंधा कृषि है परन्तु पशु पालन भी उनके जीवन का अभिन्न अंग है। प्रत्येक घर पर बंधी हुई भैंस, बैलों की जोड़ी और गौ माता की सेवा में कृषक अपने को धन्य मानता है। भेड़-बकरी पालन का आर्थिक महत्व भी बढ़ता जा रहा है।

बढ़ती आबादी की समस्या ने भी वनों के विनाश में योगदान दिया है। वनों को काटकर खेत बनाए गए हैं और चरागाहों की कमी होती गई, जिससे पशुओं को पौष्टिक चारा मिलना दुर्लभ हो गया। वनों में केवल मुंह घिसने वाली बात रह गई।

वनों के अभाव तथा उसके दुष्प्रभाव की ओर सरकार का ध्यान गया। वन विभाग द्वारा भूमि संरक्षण प्रभाग तथा सिविल सोयम वन प्रभाग की स्थापना हुई। इसमें कई क्षेत्रों में वनीकरण का कार्य हुआ। परन्तु अधिकतर वन चीड़ के लगे जिससे पशुओं के चारे की समस्या हल न हो पाई। साथ ही ठेके पर कार्य होने से ग्रामीणों का सहयोग प्राप्त न हो सका। सिविल भूमि में कोई उत्तरदायी संस्था की देख-रेख न होने से आगे के काम में बाधा रही।

इन समस्याओं को हल करने के लिए भारत जर्मन कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत त्रिमुखी वन खेती योजना का शुभारम्भ किया गया। भूमि की रक्षा व ईंधन की कमी की पूर्ति के लिए पशुओं के लिए चारा प्राप्त करने हेतु तथा गौ वंश की वृद्धि के उद्देश्य से यह योजना चलाई गई। सिविल भूमि को वन पंचायतों में बदल कर, वन पंचायतों तथा ग्रामसभा के माध्यम से कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। चारे के वृक्ष वतैन, भीमल, क्वैराल जैसे वृक्षों के रोपण पर अधिक बल दिया जाने का लक्ष्य है।

त्रिमुखी वन खेती का श्रीगणेश सन् 1976 के वर्षाकालीन वृक्षारोपण से किया गया। 329 हैक्टर क्षेत्र में 1 लाख से अधिक वृक्ष लगाए गए। द्वितीय चरण में वर्ष 1977 में 1923 हैक्टर में कार्य किया गया है जिसमें 5,50,000 वृक्ष लगाए गए। साथ ही तृतीय चरण के कार्य के लिए तैयारी आरम्भ कर दी गई है, जिसमें 2800 हैक्टर क्षेत्र में कार्य करने का लक्ष्य रखा गया है। पौधों के लिए इच्छुक व्यक्तियों को नरसरी उगाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। 75 नरसरियां बनीं, जिसमें 3,11,272 पौधे प्राप्त हुए, जिससे व्यक्तियों से 51,960 रुपया अर्जित किया।

योजनाओं के प्रति ग्रामीणों में रुचि पैदा करने तथा भविष्य के लिए उत्तरदायी बनाने हेतु वन पंचायतों का संगठन द्रुतगति से किया जा रहा है। चरागाहों की पूर्ति के लिए वन विभाग के अन्तर्गत दर्जा 1 व 2 जंगलों को वन पंचायत बना कर ग्रामवासियों को समर्पित करने की योजना चालू है। ग्राम संस्थाओं को ही कार्य दिए जाने से ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या हल हुई है।

त्रिमुखी वन खेती वास्तव में एक बहु-मुखीय योजना है, जिसका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों के सम्पूर्ण जीवन में उत्साह व प्रसन्नता लाना है। ईंधन व चारे की समस्या हल होने से ग्रामीण माता तथा बहिनों को अपने घर-बार सम्भालने और बच्चों के भरण-पोषण के लिए जो अवकाश व सुविधा प्राप्त होगी उससे एक सुखद भविष्य की कल्पना की जा सकती है। ●

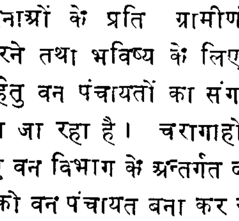

दीप से ही दीप जले

Regd. No. D (D)/98

'जहाज' छाप सुपरफ़ॉस्फ़ेट का चमत्कार...

किसानों के लिए भरपूर पैदावार... कमाई बेशुमार...

अनेक वर्षों के अनुभव से किसानों की तसल्ली हो गयी है कि 'जहाज' छाप सिंगल सुपरफ़ॉस्फ़ेट से भरपूर फ़सल मिलती है।

जितनी भरपूर फ़सल, उतनी ही ज़्यादा पैदावार! और ज़्यादा पैदावार यानी किसानों और राष्ट्र की समृद्धि!

आपका विश्वासपात्र नाम

दि धरमसी मोरारजी केमिकल कं. लि.
प्रॉस्पैक्ट चैम्बर्स,
३१७/२१ डॉ. दादाभाई नौरोजी रोड, बम्बई ४०० ००१.

DMC/F 202

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित ।